R. P102

ISSN:0975-4431
RNI:MPHIN/2009/29572

नवीन सामाजिक शोध

नवीन सामाजिक शोध

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

NAVEEN SAMAJIK SHODH

International Monthly Research Journal

वर्ष-8 अंक-4 (कुल अंक-88) जून 2016
मूल्य - 100 रूपये

International Research Journal
Research Journal Useful for
Social Development

नवीन सामाजिक शोध

मासिक शोध पत्रिका

अध्ययन एवं अनुसंधान पर
आधारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने पर
ISSN:0975-4431 प्राप्त हुआ

हम सभी क्षेत्रों विषयों पर वैज्ञानिकों प्रोफेसरों और शोधार्थीयों द्वारा तैयार शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

शोधार्थीयों द्वारा अपना रिसर्च वर्क प्रारम्भ करने से पूर्व पांच शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी इंगलिश भाषाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

सामान्यतः विज्ञान विषयों के शोध पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं किन्तु हम विज्ञान विषय के शोध पत्र भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित करते हैं। जिससे हमारे मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाते हैं।

अतः हमारी पत्रिका में केवल उच्च गुणवत्ता प्राप्त अनुसंधानिक/शोध पत्र ही प्रकाशित किये जाते है।

प्रकाशक

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान,** पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल–म.प्र.। फोन : 0755–2424777
- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना,** पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.। फोन : 0755–2628055
- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव,** पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–म.प्र.।
- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह,** सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार। मो. 9425028689
- **डॉ. के. के. तिवारी** शिक्षाविद्, राज्यपाल अधिकृत ई.सी.सदस्य डीएवीवी इंदौर मो. **9893014415**
- **वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान,** पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल–म.प्र.। मो. 9826225266
- **श्री आई.बी. सिंह,** पूर्व निदेशक, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट–म.प्र.। मो. 9329138005
- **डॉ. ललित श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ,** अध्यक्ष, मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन, भोपाल–म.प्र.। मो. 9827007500

संपादक मंडल

- **प्रो. संजय एस. अग्रवाल,** विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- **प्रो. अलका डेविड,** विभागाध्यक्ष,गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- **प्रो. अरविंद चौहान,** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- **प्रो.आर.शंकर,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचरापल्ली–तमिलनाडु (620024)।
- **प्रो.परवेज अहमद अब्बासी,** विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात,।
- **डॉ0 कुमारी चित्रा शर्मा** संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल
- **प्रो.डॉ. कामिनी जैन,** प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- **प्रो. आभा चौहान,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के.।
- **डॉ. वंदना बक्शी,** सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- **डॉ. दिनेश परमार,** अनुवांशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- **डॉ. सुमंगला पटेरिया,** सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग। एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल
- **डॉ. आरती श्रीवास्वत,** सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरूल्लागंज।
- **डॉ.जितेन्द्र कुमार,** एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेज़मेंट, जी.जी.डी. एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- **डॉ. कुसुमा भारद्वाज,** स.प्रा.,एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- **डॉ. विपिन व्यास,** व्याख्याता, लिमनोलॉजी, ब.वि., भोपाल।
- **श्री अजय बिसारिया,**व्याख्याता, हिंदी विभाग, अ.मु.वि.,अलीगढ़–उ.प्र.।
- **डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा,** विभागाध्यक्ष गणित शा. संजय गांधी स्मृति स्नाकोत्तर, महाविद्यालय, गंजबासोदा म.प्र.
- **डॉ. विश्वनाथ मिश्रा,** पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- **इंजि. रोहन गुप्ता,** एम–2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- **डॉ. अमित कुल्हार,** जिला पंचायत भोपाल

सम्पादकीय

जबसे चीन शक्तिशाली हो गया है तबसे वह न सिर्फ पक्षपाती हो गया है, बल्कि एक मित्रहीन देश की तरह पेश आने लगा है। हाल ही में जब उसने अपने पूर्व सहयोगी उत्तर कोरिया के खिलाफ नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का साथ दिया तो इस संदेह को पुनः बल मिला कि उसका पाकिस्तान ही एकमात्र सहयोगी है। भारत के प्रति चीन और पाकिस्तान की साझा दुश्मनी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सबसे करीबी और स्थायी संबंधों में से एक है। हालांकि इस संबंध ने पाकिस्तान को चीन का उपभोक्ता और बलि का बकरा बना दिया है। वास्तव में पाकिस्तान के जिहादी चेहरे ने चीन को यह अवसर मुहैया कराया है कि वह वहां अपनी रणनीतिक घुसपैठ में वृद्धि कर सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने हजारों सैनिकों को तैनात करने के बाद बीजिंग अरब सागर और हिंद महासागर तक सीधी पहुंच बनाने के लिए पाकिस्तान को एक स्थल कोरिडोर के रूप में बदलने में लगा है। 1चीन की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साठगांठ की तुलना बीजिंग होंठ और दांत के बीच वाली घनिष्ठता से करता है। इतना ही नहीं बीजिंग पाकिस्तान को अपने हर सुख-दुख का साथी भी बताता है। लंबे समय से वे अपने संबंधों को पर्वतों से भी ऊंचा, महासागरों से भी गहरा, स्टील से भी मजबूत और शहद से भी मीठा जैसे लच्छेदार शब्दों के जरिये व्यक्त करते रहे हैं। सच्चाई यह है कि चीन और पाकिस्तान में बहुत कम समानता है, सिवाय इसके कि दोनों संशोधनवादी देश हैं और अपनी मौजूदा सीमाओं के साथ संतुष्ट नहीं हैं। पाकिस्तान जहां विदेशी खैरात पर निर्भर है वहीं चीन का विदेशी मुद्रा कोष लबालब भरा हुआ है। अभी तक दोनों की साठगांठ उनके इसी सिद्धांत पर टिकी है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा प्रिय दोस्त है। दरअसल पाकिस्तान चीन का एक सहयोगी होने से अधिक एक ग्राहक अथवा उपभोक्ता देश है। हाल ही में जारी हुई पेंटागन रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान, जो कि चीन के परंपरागत हथियारों का प्रमुख उपभोक्ता है, अपने यहां चीनी नौसेना का एक केंद्र तैयार करना चाहता है, ताकि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। यह चीन ही था जिसने अमेरिकी प्रतिबंध या भारतीय संबंधों की परवाह किए बगैर पाकिस्तान को परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करने में मदद की थी। इसके अलावा वह पाकिस्तान को गुप्त तरीके से परमाणु बम बनाने और मिसाइल तैयार करने में सहयोग दे रहा है। 1दरअसल चीन ने भी परिस्थितियों का लाभ पाकिस्तान को अपने पुराने या बिना परीक्षण वाले परमाणु रिएक्टरों और चीनी सैनिकों द्वारा छांट दी गई प्रोटोटाइप हथियार प्रणालियों को बेचने के लिए उठाया है। एक उदाहरण देखें कि कैसे चीन पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है। चीन कराची के समीप दो एसी-1000 रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है, जिनका मॉडल फ्रेंच डिजाइन के अनुकूल है, लेकिन चीन ने अपने यहां अभी इस मॉडल को लागू नहीं किया है। कुछ विशेषज्ञों ने यह आशंका व्यक्त की है कि बड़े पैमाने पर चीन की सामरिक परियोजनाएं पाकिस्तान को चीन के नवीनतम उपनिवेश में बदल रही हैं। इन परियोजनाओं का विस्तार 46 अरब डॉलर की लागत वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर से लेकर चीनी हाईवे, बांध निर्माण और विवादित कश्मीर तक में है।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारत में आतंकवाद और मानवाधिकार

डॉ. अरविन्द श्रीवास्तव
(अतिथि विद्वान) राजनीति शास्त्र
शासकीय महाविद्यालय पिपरिया म.प्र.
डॉ. नागेश शुक्ला
(अतिथि विद्वान) राजनीति शास्त्र
टी.आर.एस. कॉलेज रीवा म.प्र.

विश्व में मानव अधिकार की व्यापक गरिमा फ्रांसीसी क्रांति (1789 ई.) से स्थापित हुई।"जाँ जैक रूसों के संविदा सिद्धांत से प्रेरित क्रांति के समय संविधान सभा ने यह घोषणा की थी कि संविधान निर्मित होने पर सर्वप्रथम मानव अधिकारों का उल्लेख किया जाएगा। यह घोषणा वास्तव में जार्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमरीका (संयुक्त राज्य) की स्वतंत्रता की घोषणा (सन् 1778 ई.) के सिद्धांतों से प्रेरित थी। मानव अधिकार की घोषणा के आधार पर समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जनवरी, 1950 ई. से लागू भारतीय संविधान ने भी मौलिक अधिकार जनता को दिए हैं किंतु संपत्ति के अधिकार पर आधारित होने के कारण ये उतने व्यापक नहीं हो सके हैं जितने सोवियत संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। भारतीय संविधान ने धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के भेदभाव को मिटाकर कानून के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया है। अस्पृश्यता तथा बेगारी का अंत कर दिया है। सरकार की ओर से मिलने वाली उपाधियों का अंत कर दिया है। भाषण, सभा, संगठन, आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। शोषण के संरक्षण का अधिकार दिया गया है।

मानव अधिकार दिवस की तिथियों की शुरूआत औपचारिक रूप से सन 1950 से मानी जाती है, क्योंकि इसी वर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अध्यादेश 423 (ट) पारित किया था, जिसके बाद यह इच्छुक संगठनों द्वारा अपनाया गया।

मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से ही बहस रही है। जब अबु सलेम, अफजल गुरु जैसे हत्यारे और आतंकियों के मानवाधिकार की बात की जाती है तो, यह निरर्थक लगती है।

जब तक बात अपराधियों की है तब तक तो सब सही है। क्योंकि, एक बलात्कारी, आतंकवादी या हत्यारे का कोई मानवाधिकार तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन, इन्हीं अपराधियों के साये में जब कोई निर्दोष हत्थे चढ़ जाता है या प्रशासन सच उगलवाने के लिए गैरकानूनी रूप से किसी को शारीरिक या मानसिक यातना देता है तब समझ में आता है मानवाधिकार कितना जरुरी है।

मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो सभी सामाजिक विषयों में सबसे गंभीर है जिसे हम एक तरफा हो कर नहीं सोच सकते. पर अपने राजनीतिक या अन्य बुरे मंसूबों को सफल बनाने के लिए मानवाधिकारों का सहारा लेना बिलकुल गलत है. मानवाधिकार मानव का मौलिक अधिकार होता है दानव का नहीं, आतंकवादी तो मानव के श्रेणी में आते ही नहीं है फिर, उनको इस श्रेणी का कोई अधिकार प्राप्त होना ही नहीं चाहिए।

भारत में संसद पर हमले की घटना के बाद टाडा की जगह पोटा को अंजाम दिया गया। नई सरकार ने पोटा हटाकर उसके प्रावधानों को दूसरे कानून में समाहित कर दिया। दरअसल पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के सवालों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सरकारों ने लड़ने की कई सतहें तैयार की हैं। एक तो अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन की सरकारें हैं जो खुद के भूगोल में लोकतांत्रिक और मानवाधिकार संरक्षक के रूप में दिखना चाहती हैं लेकिन उसके बाहर मानवाधिकारों की धज्जियां भी उड़ाती हैं और मानवाधिकारों का दमन वाली ताकतों को संरक्षण भी प्रदान करती है।

आतंकवादी संगठन हरकत–उल–जेहादी इस्लामी (हूजी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में हुए बम धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए और हमलों की धमकी दी। हूजी आतंकी संगठन ने कहा है, ष्हम आज दिल्ली हाईकोर्ट में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी मांग है कि अफजल गुरु की फांसी की सजा को रद्द किया जाए, वरना हम प्रमुख हाईकोर्टों और भारत की सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाएंगे।ष सवाल ये बनता है की, हुजी जैसे संगठन अफजल की फांसी अभी तो रुकवाने के लिए बम विस्फोट कर रहे है। आगे क्या गारंटी है की हूजी संगठन अफजल को छुडवाने के लिए कोई चाल नहीं चलेगां?

अफजल गुरु को वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, और उसकी ओर से फांसी को उम्रकैद में तब्दील करने के लिए दी गई दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। अफजल गुरू ने हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी को भेजे पत्र के माध्यम से कहा कि उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर गलती की। उसका कहना है कि वह जान देकर शहीद होने को तैयार है। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहा कि अफजल की फांसी का घाटी में गलत संदेश जाएगा,

वही कुपवाड़ा जिले के लांगेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक शेख अब्दुल रशीद मानवीय आधार पर

अफजल गुरु के लिए दया की मांग कर रहे है ।

भुल्लर को 1993 के रायसीना ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 29 लोग घायल हो गए थे। इस ब्लास्ट में तत्कालीन युवक कांग्रेस नेता एम. एस. बिट्टा घायल हो गए थे। इस मामले में भुल्लर को गिरफ्तार किया गया और 25 अगस्त, 2001 को भुल्लर को निचली अदालत ने टाडा सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च, 2002 को फांसी की सजा को सुनिश्चित किया और 19 दिसंबर, 2002 को भुल्लर की याचिका खारिज कर दी। वर्ष 2004 के बाद पहली बार राष्ट्रपति की ओर से किसी दोषी को मृत्युदंड की सजा पर मुहर लगाई गई है। 2004 में धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सिख फॉर जस्टिस ने 12 दिसंबर 2011 को मानवाधिकार के लिए जेनेवा में यूएन आई कमीशन अन्य मानवाधिकार संगठनों को साथ लेकर एक याचिका भी दायर की जाएगी। जिसमें भुल्लर की सजा को माफ करवाने की अपील करेगें।

यदि ऐसा ही होता रहा तो हर कोई व्यक्ति हत्या जैसे गंभीर अपराध करने से भी पीछे नहीं रहेगा। अपराधो की संख्या लगातार बढती चली जायेगी। फिर मानवाधिकार वाले संगठन आ जायेगें और सरकार फिर कहेगी की जैलो में जगह नहीं है।

देश के विशाल आकार और विविधता, विकसनशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्म–निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा, तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतर्भूक्त है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ–साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने–जाने की भी आजादी दी गई है।

यह अक्सर मान लिया जाता है, विशेषकर मानवाधिकार दलों और कार्यकर्ताओं के द्वारा कि दलित अथवा अछूत जाति के सदस्य पीड़ित हुए हैं एवं लगातार पर्याप्त भेदभाव झेलते रहे हैं। हालांकि मानवाधिकार की समस्याएं भारत में मौजूद हैं, फिर भी इस देश को दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तरह आमतौर पर मानवाधिकारों को लेकर चिंता का विषय नहीं माना जाता है।ख. इन विचारों के आधार पर, फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2006 को दिए गए रिपोर्ट में भारत को राजनीतिक अधिकारों के लिए दर्जा 2, एवं नागरिक अधिकारों के लिए दर्जा 3 दिया गया है, जिससे इसने स्वाधीन की संभतः उच्चतम दर्जा (रेटिंग) अर्जित की है।

भारत में मानवाधिकारों से संबंधित घटनाओं के कालक्रम

1829 – पति की मृत्यु के बाद रुढ़िवादी हिन्दू दाह संस्कार के समय उसकी विधवा के आत्म–दाह की चली आ रही सती–प्रथा को राममोहन राय के ब्रह्मों समाज जैसे हिन्दू सुधारवादी आंदोलनों के वर्षों प्रचार के पश्चाद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया.

1929 – बाल–विवाह निषेध अधिनियम में 14 साल से कम उम्र के नाबालिकों के विवाह पर निषेद्याज्ञा पारित कर दी गई।

1947 – भारत ने ब्रिटिश राज से राजनीतिक आजादी हासिल की.

1950 – भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की. संविधान के खण्ड 3 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकारों का विधेयक अन्तर्भुक्त है। यह शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रांतेनिधित्व से पूर्ववर्ती वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी करता है।

1952 – आपराधिक जनजाति अधिनियम को पूर्ववर्ती ष्आपराधिक जनजातियों को अनधिसूचित के रूप में सरकार द्वारा वर्गीकृत किया गया तथा आभ्यासिक अपराधियों का अधिनियम (1952) पारित हुआ।

1955 – हिन्दुओं से संबंधित परिवार के कानून में सुधार ने हिन्दू महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान किए.

1958 – सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958–

1973 – भारत का उच्चतम न्यायालय केशवानन्द भारती के मामले में यह कानून लागू करता है कि संविधान की मौलिक संरचना (कई मौलिक अधिकारों सहित संवैधानिक संशोधन के द्वारा अपरिवर्तनीय है।

1975–77– भारत में आपात काल की स्थिति–अधिकारों के व्यापक उल्लंघन की घटनाएं

1978 – मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कानून लागू कि कि आपात–स्थिति में भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन (जीने) के अधिकार को निलंबित नहीं किया सकता.

1978–जम्मू और कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978.

ख्ख1984 – ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके तत्काल बाद 1984 के सिख विरोधी दंगे

1985–6 – शाहबानो मामला जिसमें उच्चता न्यायालय ने तलाक–शुदा मुस्लिम महिला के अधिकार को मान्यता प्रदान की जिसने मौलानाओं में विरोध की चिंगारी भड़का दी. उच्चतम न्यायालय फैसले को अमान्य करार करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर

धिकार का संरक्षण) अधिनियम 1986 पारित किया.

1989 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया गया .

1989–वर्तमान– कश्मीरी बगावत ने कश्मीरी पंडितों का नस्ली तौर पर सफाया, हिन्दू मंदिरों को नष्ट–भ्रष्ट कर देना, हिन्दुओं और सिखों की हत्या तथा विदेशी पर्यटकों और सरकारी कार्यकर्ताओं का अपहरण देखा.

1992 – संविधानिक संशोधन ने स्थानीय स्व–शासन (पंचायती राज) की स्थापना तीसरे तले (दर्जे) के शासन के ग्रामीण स्तर पर की गई जिसमें महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीट आरक्षित की गई। साथ ही साथ अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए।

1992– हिन्दू–जनसमूह द्वारा बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दिया गया, परिणामस्वरूप देश भर में दंगे हुए.

1993–मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

2001 – उच्चतम न्यायालय ने भोजन का अधिकार लागू करने के लिए व्यापक आदेश जारी किए.

2002 – गुजरात में हिंसा, मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक को लक्ष्य कर, कई लोगों की जाने गई.

2005 – एक सशक्त सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ ताकि सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में संघटित सूचना तक नागरिक की पहुंच हो सके.

2005 – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी प्रदान करता है।

2006 – उच्चतम न्यायालय भारतीय पुलिस के अपर्याप्त मानवाधिकारों के प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस सुधार के आदेश जारी किए.

2009 – दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 की घोषणा की जिसने अनिर्दिष्ट "अप्राकृतिक" यौनाचरणों के सिलसिले को ही गैरकानूनी करार कर दिया, लेकिन जब यह व्यक्तिगत तौर पर दो लोगों के बीच सहमति के साथ समलैंगिक यौनाचरण के मामले में लागू किया गया तो असंवैधानिक हो गया, तथा भारत में इसने समलैंगिक संपर्क को प्रभावी तरीके से अलग–अलग भेद–भाव कर देखना शुरू किया।

हिरासत में मौतें

पुलिस के द्वारा हिरासत में यातना और दुराचरण के खिलाफ राज्य की निषेधाज्ञाओं के बावजूद, पुलिस हिरासत में यातना व्यापक रूप से फैली हुई है, जो हिरासत में मौतों के पीछे एक मुख्य कारण है। पुलिस अक्सर निर्दोष लोगों को घोर यातना देती रहती है जबतक कि प्रभावशाली और अमीर अपराधि

ियों को बचाने के लिए उससे अपराध कबूल न करवा लिया जाय, जी.पी. जोशी, राष्ट्रमंडल मानवाधिकारों की पहल की भारतीय शाखा के कार्यक्रम समन्वयक ने नई दिल्ली में टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस हिंसा से जुड़ा मुख्य मुद्दा है पुलिस की जवाबदेही का अभी भी अभाव.

वर्ष 2006 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के एक मामले में अपने एक फैसले में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों को पुलिस विभाग में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सात निर्देश दिए. निर्देशों के ये सेट दोहरे थे, पुलिस कर्मियों को कार्यकाल प्रदान करना तथा उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और सुसंगत बनाना तथा पुलिस की जवाबदेही में इजाफा करना.

भारतीय प्रशासित कश्मीर

कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय–प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी है। हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में ओएचसीएचआर के एक प्रवक्ता ने कहा, मानवाधिकारों के उच्चायुक्त का कार्यालय भारतीय–प्रशासित कश्मीर में हाल–फिलहाल हुए हिंसक विरोधों के बारे अधिक चिंतित है सूचनानुसार जिसके कारण नागरिक तो मारे गए ही साथ ही साथ सभा आयोजित करने (एक साथ समूह में जमा होने) अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया. वर्ष 1996 के मानवाधिकारों की चौकसी के रिपोर्ट ने भारतीय सेनावाहिनी एवं भारतीय सरकार द्वारा समर्थित अर्द्धसैनिक बलों की कश्मीर में गंभीर और व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं।. ऐसा ही एक कथित नरसंहार सोपोर शहर में 6 जनवरी 1993 को घटित हुआ। टाइम पत्रिका ने इस घटना का विवरण इस प्रकार दिया, केवल एक सैनिक की हत्या के प्रतिशोध में, अर्द्ध सैनिक बलों ने पूरे सोपोर बाजार को रौंद डाला और आसपास खड़े दर्शकों को गोली मार दी. भारत सरकार ने इस घटना की निन्दा करते हुए इसें दुर्भाग्यपूर्ण कहा तथा दावा किया कि अस्त्र–शस्त्र के एक जखीरे में बारूद के गोले से आग लग गई जिससे अधिकांश लोग मौत के शिकार हुए.. इसके अतिरिक्त कई मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस अथवा सेना द्वारा कश्मीर मे लोगों के गायब कर दिए जाने के दावे भी पेश किए हैं।

जनवरी 2009 में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सडक के किनारे एक सैनिक चौकी गार्ड. कई मानवाधिकार संगठनों, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनैशनल एवं ह्युमन राइट्स वॉच ने भारतीयों के द्वारा कश्मीर में किए जाने वाले मानवाधिकारों के हनन की निंदा की है जैसा कि अतिरिक्त–न्यायायिक मृत्युदंड, अचानक गायब हो जाना, एवं यातनाय, सशस्त्र बलों के विशेष अधिकार अधिनियम, जो मानवाधिकारों के हनन और हिंसा के चक्र में ईंधन जुटाने में दण्ड से छुटकारा दिलाता है। सशस्त्र बलों के विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) सेनावाहिनी को गिरफ्तार करने, गोली मारकर जान

से मार देने का अधिकार एवं जवाबी कार्रवाई के ऑपरेशनों में संपत्ति पर कब्जा कर लेना या उसे नष्ट कर देने का व्यापक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय अधिकारियों का दावा है कि सैनिकों को ऐसी क्षमता की ही आवश्यकता है क्योंकि जब कभी भी हथियारबंद लड़ाकुओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को संगीन खतरा पैदा हो जाता है तो सेना को ही मुकाबला करने के लिए तैनात किया जाता है। उनका कहना है कि, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए असाधारण उपायों की जरुरत पड़ती है। मानवाधिकार संगठनों ने भी भारत सरकार से जन सुरक्षा अधिनियम को निरसित कर देने की सिफारिश की है. चूंकि एक बंदी को प्रशासनिक नजरबंदी (कारावास) के अदालत के आदेश के बिना अधिकतम दो सालों के लिए बंदी बनाए रखा जा सकता है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (युनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्युजिज़) के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह तय किया गया कि भारतीय प्रशासित कश्मीर आंशिक रूप से आजाद है, (जबकि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बारे में निर्धारित किया गया कि आजाद नहीं है।

प्रेस की आजादी

सीमा के बिना संवाददाताओं (रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स) के अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में प्रेस की आजादी के सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है (भारत के लिए प्रेस की आजादी का सूचकांक 2009 में 29.33 था). भारतीय संविधान में प्रेस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है (अनुच्छेद 19(1) हालांकि उप–अनुच्छेद (2), के अंतर्गत यह अधिकार प्रतिबंध के अधीन है, जिसके द्वारा भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जनता में श्रृंखला, शालीनता का संरक्षण, नैतिकता का संरक्षण, किसी अपराध के मामले में अदालत की अवमानना, मानहानि, अथवा किसी अपराध के लिए उकसाना आदि कारणों से इस अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है जैसे कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम एवं आतंकवाद निरोधक अधिनियम के कानून लाए गए हैं। प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए पोटा (पीओटीए) का इस्तेमाल किया गया है। पोटा (पीओटीए) का इस्तेमाल किया गया है। पोटा (पीओटीए) के अंतर्गत पुलिस को आतंकवाद से संबंधित आरोप लाने से पूर्व किसी व्यक्ति को छः महीने तक के लिए हिरासत में बंदी बनाकर रखा जा सकता था। वर्ष 2004 में पोटा को निरस्त कर दिया गया, लेकिन युएपीए (UAPA) के संशोधन के जरिए पुनःप्रतिस्थापित कर दिया गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 कारगर रूप से बरकरार रहा.

स्वाधीनता की पहली आधी सदी के लिए, राज्य के द्वारा मीडिया पर नियंत्रण प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ी बाधा थी। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में एक लोकप्रिय घोषणा की कि ऑल इण्डिया रेडियो

एक सरकारी अंग (संस्थान) है और यह सरकारी अंग के रूप में बरकरार रहेगा. 1990 में आरम्भ हुए उदारीकरण में, मीडिया पर निजी नियंत्रण फलने–फूलने के साथ–साथ स्वतंत्रता बढ़ गई और सरकार की अधिक से अधिक तहकीकात करने की गुंजाइश हो गई। तहलकाऔर एनडीटीवीजैसे संगठन विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं, जैसे कि, हरियाणा के शक्तिशाली मंत्री विनोद शर्मा को इस्तीफा दिलाने के बारे में. इसके अलावा, हाल के वर्षों में प्रसार भारती के अधिनियम जैसे पारित कानूनों ने सरकार द्वारा प्रेस पर नियंत्रण को कम करने में उल्लेखनीय योगदान किया है।

एल जी बी टी अधिकार

जब तक दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जून 2009 को सम–सहमत वयस्कों के बीच सहमति–जन्य निजी यौनकर्मों को गैरआपराधिक नहीं मान लियाख्29, तबतक 150 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अस्पष्ट धारा 377, औपनिवेशिक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पारित कानून की व्याख्या के अनुसार समलैंगिकता को अपराधी माना जाता था। बहरहाल, यह कानून यदा–कदा ही लागू किया जाता रहा.ख्30, समलैंगिकता को गैरापराधिक करार करार करने के अपने आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा कानून भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ प्रतिद्वन्द्व पैदा करती है और इस तरह के अपराधीकरण संविधान की धारा 21, 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं। दिसंबर 11 , 2013 को समलैंगिकता को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपराध माना गया।

मानव तस्करी

मानव तस्करी भारत में + 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अवैध व्यापार है। हर साल लगभग 10,000 नेपाली महिलाएं वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए भारत लायी जाती हैं। हर साल 20,000–25,000 महिलाओं और बच्चों की बांग्लादेश से अवैध तस्करी हो रही है।

बाबूभाई खिमाभाई कटारा एक सांसद थे जब एक बच्चे की कनाडा में तस्करी के लिए वे गिरफ्तार कर लिए गए।

धार्मिक हिंसा

भारत में (अधिकतर हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक गुटों के बीच) सांप्रदायिक संघर्ष ब्रिटिश शासन से आजादी के आसपास के समय से ही प्रचलित हैं। भारत में सांप्रदायिक हिंसा की सबसे पुरानी घटनाओं में केरल मोप्लाह (डवचसी) विद्रोह था, जब कट्टरपंथी इस्लामी जंगियों ने हिंदुओं की हत्या कर दी. भारत विभाजन के दौरान हिंदुओं सिखों और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगों में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में लोग बड़ी संख्या में मारे गए थे।

1984 के सिख विरोधी दंगों में चार दिन की अवधि के दौरान भारत की नरमदलवादी धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सिखों की हत्या होती रही, कुछ लोगों का अनुमान है कि 2,000 से अधिक मारे गए थे। अन्य घटनाओं में 1992 के मुंबई दंगे तथा 2002 के गुजरात की हिंसा की घटनाएं शामिल हैं– उत्तरार्द्ध वाली घटना में, इस्लामी आतंकवादियो ने हिंदू यात्रियों से भरी गोधरा में खड़ी ट्रेन को एक हमले में जला डाला, जिसमे 58 हिंदू मारे गए थे, इस घटना के परिणामस्वरूप 1000 से अधिक मुसलमान मारे गए थे (जिसका कोई उल्लेख नहीं है). कई कस्बों और गांवों को छिटपुट छोटी–मोटी घटनाएं त्रस्त करती रही हैंय जिसमे से एक उदहारण स्वरुप उत्तर प्रदेश के मऊ में हिंदू–मुस्लिम दंगे के दौरान पांच लोगों की हत्या थी, जो एक प्रस्तावित हिंदू त्योहार के समारोह के उपलक्ष में भड़का दिया गया था।ख36, ऐसी ही एक अन्य घटना में को सांप्रदायिक दंगों में 2002 मराद नरसंहार शामिल है, जिसे उग्रवादी इस्लामी गुट राष्ट्रीय विकास मोर्चा द्वारा अंजाम दिया गया था, साथ ही साथ तमिलनाडु में इस्लामवादी तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कजघम द्वारा निष्पादित हिन्दुओं के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे हैं।

जाति से संबंधित मुद्दे

ह्यूमन राइट्स वॉच के एक रिपोर्ट के अनुसार, दलितों और स्वदेशी लोगों (जो अनुसूचित जनजातियों या आदिवासियों के रूप में जाने जाते हैं) वे लगातार भेदभाव, बहिष्कार, एवं सांप्रदायिक हिंसा के कृत्यों का सामना कर रहे हैं। भारतीय सरकार द्वारा अपनाए गए कानून और नीतियां सुरक्षा के मजबूत आधार प्रदान करती हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से कार्यान्वित नहीं हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, यह भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है कि जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को पूरी तरह से अधिनियमित और लागू करे.

कई खानाबदोश जनजातियों के साथ भारत की अनधिसूचित (डिनोटिफाइड) जनजातियों की जनसंख्या जो सामूहिक रूप से 60 मिलियन है, लगातार आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक कलंक का सामना कर रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि आपराधिक जनजातियों के अधिनियम 1871 को सरकार द्वारा 1952 में निरसित कर दिया गया था और आभ्यासिक अपराधियों के अधिनियम (एचओए) (1952) द्वारा इतने प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया कि, तथाकथित ष्अपराधिक जनजातियोंष की पुरानी सूची से एक नई सूची बनाई गई। यहाँ तक कि आज भी ये जनजातियां असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम के परिणामों को झेलती हैं, जो केवल उनके अस्तित्व में बने रहने के लिए उनके दैनन्दिन संघर्ष में इजाफा ही करते हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। नस्ली भेदभाव उन्मूलन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र की भेदभाव विरोध

ी निकाय समिति ने सरकार से इस कघनून को अच्छी तरह से निरसित कर देने को कहा है, क्योंकि ये पहले की आपराधिक जनजातियां बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार सहती रही हैं और कइयों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया है ताकि उनके आरक्षण के अधिकार को नकार दिया जाय जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाता.

अन्य हिंसा

जैसे कि बिहारी–विरोधी मनोभाव के संघर्षों ने कभी–कभी हिंसा का रूप धारण कर लिया है।

अपराध जांच के लिए आक्रामक तरीके जैसेकि श्नार्को–ानालिसिसश (नियंत्रित संज्ञाहरण) अर्थात अवचेतन में विश्लेषण की अब सामान्यतः भारतीय अदालतों ने अनुमति दी है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार षकिसी को भी खुद उसी के खिलाफ एक गवाह नहीं बनाया जा सकता है, अदालतों ने हाल ही में घोषणा की है कि यहाँ तक कि इस प्रयोग के संचालन के लिए अदालत से अनुमति आवश्यक नहीं है। अवचेतानावस्था में विश्लेषण का अब व्यापक रूप से प्रयोग प्रतिस्थापितध्प्रवंचना के लिए किया जाता है अपराध जांच के वैज्ञानिक तरीकों के संचालन के लिए कौशल और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। मूल शोध?, अवचेतानावस्था में विश्लेषण पर भी चिकित्सा की नैतिकता के खिलाफ आरोप लगाया गया है।

यह पाया गया है कि देश के आधे से अधिक कैदी पर्याप्त सबूत के बिना ही हिरासत में हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों के विपरीत, आम तौर पर भारत में आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही जांच की शुरूआत होती है। चूंकि न्यायिक प्रणाली में कर्मचारियों की कमी और सुस्ती है, अतः कई वर्षों से जेल में सड़ रहे निर्दोष नागरिकों का होना कोइ असामान्य बात नहीं है। उदाहरण के लिए, सितम्बर 2009 में मुम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से एक 40–वर्षीय व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा क्योंकि जिस अपराध के लिए वह 10 साल से जेल में सजा काट रहा था दरअसल उसने वह अपराध किया ही नहीं था।

सन्दर्भ :–

भारत, एक देश का अध्ययन, संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस पुस्तकालय

वर्ल्ड 2006 में स्वतंत्रतारू सिविल लिबर्टीज और चयनित से डेटा के राजनीतिक अधिकारों सर्वेक्षण फ्रीडम हाउस की वार्षिक ग्लोबल पीडीएफ (122 किबा), फ्रीडम हाउस, 2006

खाद्य का अधिकार

सूचना अधिकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार
पुलिस हिरासत में मौत के कारण अत्याचार द ट्रिब्यून्
पश्चिम बंगाल में हिरासत पर मौत और भारत के इनकार के खिलाफ यातना कन्वेंशन की पुष्टि एशियाई मानवाधिकार आयोग 26 फरवरी 2004
हिरासत मौतें और भारत में यातना एशियाई कानूनी संसाधन केन्द्र
भारत में जवाबदेही पुलिसरू राजनीति से दूषित पोलिसिंग
सुप्रीम कोर्ट पुलिस पर सुधार प्रकाश का जिम्मा ले लेता हैरू यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रकाश सिंह, बीबीसी समाचार द्य विश्व द्य दक्षिण एशिया द्य कश्मीर के अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं
संघर्ष के पीछे कश्मीर घाटी – कश्मीर के हनन
भारत निरसन अधिनियम सशस्त्र बल विशेष अधिकार
संघर्ष के पीछे कश्मीररू न्यायपालिका को कम (ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट जुलाई 1999)
2008 विश्व में स्वतंत्रता – कश्मीर (भारत), शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त उच्च, 02–07–2008
2008 विश्व में स्वतंत्रता – कश्मीर (पाकिस्तान), शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त उच्च 02–07–2008
स्कॉट लॉन्ग द्वारा लखनऊ में चार समलैंगिक पुरुषों के आचरण पर आरोप की गिरफ्तारी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र, निदेशक समलैंगिक, समलैंगिक और उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर पर ह्यूमन राइट्स वॉच अधिकार कार्यक्रम
मानव भारत में अपराध में आयोजित बदल तस्करी जी न्यूज
स्थलों के अवैध व्यापार भारत के बीच शीर्ष मानव इण्डिया ईन्यूज
निरसन अधिनियम और आभ्यासिक अपराधियों अफ्फेक्टिवेली जनजातियों के पुनर्वास डिनोटिफाइड, संयुक्त राष्ट्र भारत को एशियाई ट्रिब्यून, सोम, 19 मार्च 2007.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति

अमीता बड़गुर्जर
शोध छात्रा (समाजशास्त्र)
श्री सत्य साईं प्रोद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान वि.वि. भोपाल

वर्तमान युग में हम को कितने भी विकसित एवं शिक्षित समाज का हिस्सा मानते हो परन्तु हमारी मानसिकता अभी भी महिलाओं के प्रति पक्षपात पूर्ण है आखिर नारी को समानता का दर्जा देने में झिझक क्यों?भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की स्तिथि भी सुखद नहीं है क्योंकि कामकाजी महिलाओं को अपने कामकाज के अतिरिक्त घरेलू कार्यों के लिय भी पूरी मशक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष घरेलु कार्यों को करने से परहेज करता है।
संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सिर्फ मानव जाति की मादा (नारी) बच्चों की देख रेख के अतिरिक्त (जो अन्य जीव भी करते हैं) पूरे परिवार एवं पति की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य सभी घरेलू कार्यों में भी सहयोग करती है।
नारी समाज के उत्थान से तात्पर्य है सामाजिक पक्षपात से मुक्ति। नारी उत्थान का अर्थ यह कदापि नहीं है की समाज नारी प्रधान हो जाय और नारी समाज, पुरुषों का शोषण करने लगे,या प्रताड़ित करने लगे.नारी समाज के उत्थान का तात्पर्य है उसे उसके प्रति निरंकुशता,क्रूरता,अमानवीय व्यव्हार से मुक्ति मिले.लिंग भेद से छुटकारा मिले। यह कटु सत्य है नारी कल्याण के लिय,महिला सुरक्षा के लिए अपने देश में अनेक कानून बनाये जा चुके हैं परन्तु इन कानूनों का दुरूपयोग भी हो रहा है,जो अब पुरुषों के शोषण का कारण बन रहा है.शायद हमारे कानूनों में कुछ कमियां रह गयी है,जिनका लाभ निम्न मानसिकता वाले लोग लाभ उठाते हैं, या हमारा समाज कुछ ज्यादा ही अमानवीय हो गया है जो सामने वाले का शोषण करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, जो सामाजिक विकृति का परिचायक है. कानून के सहारे से अपनी दुश्मनी निकालना किसी व्यक्ति पर झूंठे आरोप लगा कर फंसा देना सर्वथा निंदनीय है,हैवानियत है.अगर यह स्थिति बनी रहती है तो स्वयं महिलाओं के लिए कष्टदायक सिद्ध

होने वाली है.महिला समाज के प्रति अविश्वास होना उनके उत्थान के लिए प्रतिरोधक बन सकता है. भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नही रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार–चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हे सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में से स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी तथापि ऋगवेद में कुछ ऐसी उक्तियां भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती हैं। मैत्रयीसंहिता में स्त्री को झूठ का अवतार कहा गया है। ऋगवेद का कथन है कि स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नही है, उनके हृदय भेड़ियों के सदृश्य हैं। ऋगवेद के अन्य कथन में स्त्रियों को दास की सेना का अस्त्र–शस्त्र कहा गया है। स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी कहीं न कहीं स्त्रियाँ नीची दृष्टि से देखी जाती थीं। फिर भी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदर और प्रतिष्ठित थीं। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उनका महान योगदान था। संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिककाल से शुरू हुई। उन पर अनेक प्रकार के निर्योग्यताओं का आरोपण कर दिया गया। उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाये जाने लगे। मध्यकाल में इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियों के लिए कठोर एकान्त नियम बना दिए गये। शिक्षण की सुविधा पूर्णरूपेण समाप्त हो गई।

नारी के सम्बन्ध में मनु का कथन श्पितारक्षति कौमारे.....न स्त्री स्वातंन्त्यम् अर्हति।श्श वहीं पर उनका कथन श्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताश्श, भी दृष्टव्य है वस्तुतः यह समस्या प्राचीनकाल से रही है। इसमें धर्म, संस्कृति साहित्य, परम्परा, रीतिरिवाज और शास्त्र को कारण माना गया है। भारतीय दृष्टि से इस पर विचार करने की की जरूरत है। पश्चिम की दृष्टि विचारणीय नहीं। भारतीय सन्दर्भो में समस्या के समाधान के लिए प्रयास हो तो अच्छे हुए हैं। भारतीय मनीषा समानाधिकार, समानता, प्रतियोगिता की बात नहीं करती वह सहयोगिता सहधर्मिती, सहचारिता की बात करती है। इसी से परस्पर सन्तुलन स्थापित हो सकता है।

वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, सहधर्मिणी अर्द्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृतिकाल में भी श्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताश्श कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। किन्तु 11 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास, और सशक्तिकरण का अंधकार युग

था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिसने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया तथा उनके निजी व सामाजिक जीवन को कलुषित कर दिया।

धर्मशास्त्र का यह कथन नारी स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं है अपितु नारी के निर्बाध रूप से स्वधर्म पालन कर सकने के लिए बाह्य आपत्तियों से उसकी रक्षा हेतु पुरूष समाज पर डाला गया उत्तरदायित्व है। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरूष इसे भार न मानकर ,धर्मरूप में स्वीकार अपना कल्याणकारी कर्तव्य समझता है। पौराणिक युग में नारी वैदिक युग के दैवी पद से उतरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मो में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी नहीं किया जाता था। श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेध के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था। यद्यपि उस समय भी अरून्धती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी), लोपामुद्रा, महर्षि अगस्त्य की पत्नी),अनुसूया (महर्रिष अघत्रि की पत्नी) आदि नारियाँ दैवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी तथापि ये सभी अपने पतिगों की सहधर्मिणी ही थीं।

मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबर्दस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़ियाी जकड़ती गई,घर की चाहरी दीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला,रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्य समाज आदि समाज–सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किये। उन्नीसवीं सदीं के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरूष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम ,1829,1856 में हिन्दू विधवा.पुनर्विवाह अधिनियम,1891 में एज आफ कन्सटेन्ट बिल ,1891 , बहु विवाह रोकने के लिये वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षों के नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा का माँग की गई।

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षो की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये। औद्योगीकरण, शिक्षा का

विस्तार, सामाजिक आन्दोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरूआत की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। मेटसन ने हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पांच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, यह है– हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरूष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरूषों को भिन्न–भिन्न भूमिकाएँ निभानी चाहिए। स्त्रियों से माता व गृहणी की भूमिकाओं की और पुरूषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हे विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हे अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोंच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हे आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर अग्रसारित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किये गए हैं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सादी तक आते–आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डाक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर, श्रीमती किरण मजूमदार, इलाभट्ट, सुधा मूर्ति आदि महिलाएँ ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी.टी. ऊषा, अंजू बाबी जार्ज, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च

शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब 21 वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरुष की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को श्औरत की कमाई खाने वालाश्श कह कर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। सघ्त्री स्वातय में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत है। स्त्रियां धन कमाने लगीं हैं तो पुरुष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनियां में नारियां बहुत आगे हैं। बहुत कम ही ऐसे विज्ञापन होंगे जिनमें नारी न हो लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिन्तन का विषय है। इससे समाज में विकृतियाँ भी बढ़ रही हैं। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना बना दिया है।

आज की नारी राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुीचकर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत दुनियां में भारत और यहाी की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाऐं डाक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग 12 महिलाऐं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी साफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाऐं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाी वषरें पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी है बल्कि वहां सफल भी हो रही हैं।

यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा । महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा।–जवाहर लाल नेहरू

महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये जो सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उससे समाज में एक नयी जागरूकता उत्पन्न हुई है। बाल–विवाह, भ्रूण–हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का अथक प्रयास हुआ है । शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है । गाीधीजी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्यों लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है । शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है जो कि आवश्यक रूप से सामाजिक है । शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली । महिलाऐं अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी। शिक्षा ने उन्हें आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक न्याय तथा पुरुष के साथ समानता के अधिकारों की मीाग करने को प्रेरित किया ।

संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ । महिलाओं की विवाह विच्छेद परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिये गये। दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा तथा उन व्यक्तियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी जो दहेज की मांग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं । अब सरकार लिव इन पर विचार कर रही है। संयुक्त परिवारों के विघटन होने से जैसे–जैसे एकाकी परिवार की संख्या बढ़ी इनमें न केवल महिलाओं को सम्मानित स्थान मिलने लगा बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने वयक्तित्व का विकास करने के अवसर मिलने लगे।

महिला शिक्षा समाज का आधार है। समाज द्वारा पुरूष को शिक्षित करने का लाभ केवल मात्र पुरूष को होता है जबकि महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को होता है । चूंकि महिला ही माता के रूप में बच्चे की प्रथम अध्यापक बनती है । महिला शिक्षा एवं संस्कृति को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन मिला। यद्यपि कुछ समय तक महिला शिक्षा के समर्थक कम किन्तु आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है।

स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी मिल नहीं पाती सतही तौर पर देखा जाये तो लगता है कि भारत ही नहीं, विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाती हुई स्त्रियों ने अपनी पुरानी मान्यतायें बदली हैं। आज की स्त्री की अस्मिता का प्रश्न मुखर होता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये संघर्ष करती हुई स्त्रियों ने लम्बा रास्ता तय कर लिया है, परन्तु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार है। श्शजब–जब स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब तब जाने कितने रीति–रिवाजों, परम्पराओं पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किये गए। महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार प्रथम बार श्शराष्ट्रीय महिला उत्थान नीतिश्श बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताए निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसमें आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपभोग पर तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय स्तर तक समान पहुँच पर बल

दिया गया है।

आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है। क्या मात्र इस आधार पर उस सफलता के पीछे क्षणांश भी किसी पुरुष के हाथ होने की सम्भावना को नकार दिया जायेगा? यदि नहीं तो फिर समस्या कहाँ है? मैं कौन हूँ का प्रश्न अभी भी उत्तर की आस में क्यों खड़ा है?

जवाब हमारे सभी के अन्दर ही है पर उसको सामने लाने में हम घबराते भी दिखते हैं। स्त्री को एक देह से अलग एक स्त्री के रूप में देखने की आदत को डालना होगा। स्त्री के कपड़ों के भीतर से नग्नता को खींच–खींच कर बाहर लाने की परम्परा से निजात पानी होगी। कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी समाज में व्यवस्था के संचालन में तो सहयोगी हो सकते हैं किन्तु इसके अपरिहार्य रूप से किसी भी व्यक्ति पर लागू किये जाने से इसके विरोध की सम्भावना उतनी ही प्रबल हो जाती है जितनी कि इसको लागू करवाने की। क्या बिकाऊ है और किसे बिकना है, अब इसका निर्धारण स्वयं बाजार करता है, हमें तो किसी को बिकने और किसी को जोर जबरदस्ती से बिकने के बीच में आकर खड़े होना है। किसी की मजबूरी किसी के लिए व्यवसाय न बने यह समाज को ध्यान देना होगा।

नग्नता और शालीनता के मध्य की बारीक रेखा समाज स्वयं बनाता और स्वयं बिगाड़ता है। एक नजर में उसका निर्धारक पुरुष होता है तो दूसरी निगाह उसका निर्धारक स्त्री को मानती है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण, स्वाधीनता और उच्छृंखलता, दायित्व और दायित्वहीनता, श्लीलता और अश्लीलता के मध्य के धुँधलके को साफ करना होगा। समाज में सरोकारों का रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी भी स्त्री–पुरुष का। सामाजिकता के निर्वहन में स्त्री–पुरुष को समान रूप से सहभागी बनना होगा और इसके लिए स्त्री पुरुष को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझे और पुरुष भी स्त्री को एक देह नहीं, स्त्री रूप में एक इंसान स्वीकार करे। स्त्री की आजादी और खुले आकाश में उड़ान की शर्त उत्पादन में उसकी भूमिका हो। स्त्री की असली आजादी तभी होगी जब उसके दिमाग की स्वीकार्यता हो, न कि केवल उसकी देह की। अन्ततः कहीं ऐसा न हो कि स्त्री स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का पर्व सशक्तिकरण की अवधारणा पर खड़ा होने के पूर्व ही विनष्ट होने लगे और आने वाली पीढ़ी फिर वही सदियों पुराना प्रश्न दोहरा दे कि मैं कौन हूँ?

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो की जा रहीं हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय

में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरुष–प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है– किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारीशक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

राजकुमार डा0 नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005

भारतीय संविधान, अनु0 14,15,16,19,21,23,39

गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण,बुक एनक्लेव, जयपुर

सिंह करण बहादुर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण ,कुरुक्षेत्र , मार्च 2006

सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरुक्षेत्र, मार्च 2007

गौतम हरेन्द्र राज, महिला अधिकार संरक्षण , कुरुक्षेत्र मार्च 2006

व्यास, जय प्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन , 2003

शैलजा नागेन्द्र, वोमेन्स राइट्स, ए डी वी पब्लिशर्स जयपुर , 2006

आहुजा, राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली।

अल्टेकर, ए0एस0 (1956) द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसी लाल, वाराणसी

हसनैन, नदीम (2004) समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।

जोशी, पुष्पा (1988) गांधी आन वोमन, सेन्टर फार वोमनश्स डेवलपमेन्ट स्टडीज, दिल्ली

मिश्र, जयशंकर (2006) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना

श्रीनिवास, एम0एन0 (1978) द चेन्जिग पोजीशन ऑफ इण्डिया वूमन, आक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे

राजनारायण डॉ0,स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलना

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारत में पत्रकारिता की भुमिकायें एक अध्ययन

अनवार खान
शोध छात्र संचार विभाग (पत्रकारिता)
माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल

राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना के बाद दूसरा स्थान पत्रकार का आता है. अपनी कलम की ताकत से वह भ्रष्टाचार एवं देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने के लिए गिद्ध की तरह नजर गढ़ाए बैठे असामाजिक तत्वों पर अपनी पैनी नजर रख उन्हें उजागर करता है. लेकिन कभी–कभी कलम के सिपाही पत्रकार की खुद की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सत्य को उजागर करने पर कई लोग उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं.

विडंबना यह है कि सेना के पास तो आत्मरक्षा के लिए हथियार है लेकिन पत्रकार के पास केवल कलम जो सत्य उजागर करने के लिए तो एक सशक्त हथियार है लेकिन आत्मरक्षा के लिए नहीं. जब कोई उसकी हत्या के इरादे से उसे निशाना बनाता है तो वह आत्मरक्षा में असमर्थ होता है. पत्रकार को अपना कार्य करते समय यदि कोई मारता है तो मरने के बाद उसे वो सम्मान प्राप्त नहीं होता जो एक सैनिकों को प्राप्त होता है जबकि दोनों का काम जोखिमपूर्ण और राष्ट्रवाद से ओत प्रोत होता है.

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले भारत में अभी तक पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई ठोस कानून नहीं है. सत्य की कलम से लिखने वाले पत्रकार पर मौत का साया हरदम मंडराता रहता है. पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून को जब भी लाने की बात की गई तो उस पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया. आखिर ऐसा क्या है जो देश की सत्ता पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होने देती क्यों कानून लाने की बात पर वह चुप्पी साध लेती है. भारत के संविधान में जहां सूचना लेने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. वहां इस अधिकार के कई बार हनन के बावजूद सरकार क्यों कुछ नहीं करती क्या यह लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह नहीं है.

हाल ही में खोजी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या ने इन प्रश्नों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है. डे की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को उजागर करने वाले डे ने तेल माफियाओं के काले धंधे को भी उजागर किया था. वह चंदन की तस्करी का खुलासा भी करना चाहते थे. इतने बड़े स्तर पर हो रही इन गतिविधियों को उजागर करने की कीमत डे को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी. जे डे की हत्या के पीछे कभी तेल माफियाओं तो कभी अंडरवर्ल्ड का हाथ बताया जा रहा है.

लेकिन सबसे शर्मनाक बात है कि मुंबई सरकार इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने से मना कर रही है जबकि मुंबई पुलिस से अभी तक यह मामला सुलझ नहीं सका। ज्यादा समय बीतने पर हत्या के आरोपी सभी सबूत मिटाने में सफल हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या है जो सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने से कतरा रही है. इससे पहले पाकिस्तान के पत्रकार सलीम शहजाद को भी मार दिया गया था। उन्होंने अलकायदा और पाकिस्तानी सेना के बीच संबंधों को उजागर किया था। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनी संस्था सीपीजे के मुताबिक भारत में वर्ष 1992 से लेकर अब तक कुल 44 पत्रकार मारे जा चुके हैं. जिनमें से केवल 27 पत्रकारों की मौत की गुत्थी ही सुलझ पाई है। इन पत्रकारों की सूची नीचे दी गई है।

1 ज्योतिर्मय डे दृ मिडडे, 11 जून 2011 मुंबई, गोली मारकर हत्या

2 उमेश राजपूत दृ नई दुनिया, 22 फरवरी 2011 रायपुर,गोली मारकर हत्या

3 विजय प्रताप सिंह– इंडियन एक्सप्रेस, 20 जुलाई 2010 इलाहाबाद बम धमाके में मौत

4 हेमन्त पांडे दृ फ्रीलांसर, 2 जुलाई 2010 आन्ध्र प्रदेश, माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान मौत

5 विकास रंजन दृ हिन्दुस्तान, 25 नवंबर 2008 रौसेरा, मोटरबाइक सवार तीन युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या

6 जगजीत सैकिया दृ अमर असम, 20 नवंबर 2008, असम गोली मारकर हत्या

7 जावेद अहमद मिर दृ डेली ट्रिब्यून,13 अगस्त 2008 जम्मू–कश्मीर अलगाववादियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मौत

8 अशोक सोढी दृ डेली एक्सेल्सर, 11 मई 2008, जम्मू–कश्मीर आतंकी मुठभेड़ के दौरान फोटोग्राफर सोढी की मौत

9 मोहम्मद मुस्लिमुद्दीनअसमिया प्रतिदिन,1 अप्रैल 2008 असम,छः हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या

10 अरूण नारायण देकाते दृ तरूण भारत, 10 जून 2006, नागपुर चार अज्ञात युवकों द्वारा हमला

11 प्रहलाद गौला दृ असमिया खबर, 6 जनवरी 2006, असम चाकू मारकर हत्या

12 दिलीप मोहापात्र दृ अजी कगोज, 8 नवंबर 2004, उड़ीसा अपहरण कर हत्या

13 असिया जिलानी दृ फ्रीलांसर, 20 अप्रैल 2004, कश्मीर बम धमाके में मौत

14 वीराबोएना यदागिरी दृ आन्ध्र प्रभा, 21 फ़रवरी 2004, आंन्ध्र प्रदेश चाकू मारकर हत्या

15 परमानंद गोयल दृ पंजाब केसरी, 18 सितंबर 2003 हरियाणा तीन अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या

16 इंद्रा मोहन हकसम दृ अमर असम, 24 जून 2003, असम उल्फा द्वारा अपहरण कर हत्या

17 परवाज मोहम्मद सुल्तान दृ नाफा समाचार संगठन, 31 जनवरी 2003 श्रीनगर, गोली मारकर हत्या

18 रामचंद्र छतरपति दृ पूरा सच, 21 नवंबर 2002, हरियाणा, गोली मारकर हत्या

19 यम्बेम मेघजीत सिंह दृ नार्थईस्ट विजन, 13 अक्टूबर 2002 मणिपुर, प्रताड़ना के पश्चात गोली मारकर हत्या

20 पारितोष पांडे दृ जनसत्ता एक्सप्रेस, 14 अप्रैल 2002 लखनऊ,गोली मारकर हत्या

21 मूलचंद यादव दृ फ्रीलान्सर, 30 जुलाई 2001 झांसी, गोली मारकर हत्या

22 थऊनाओजम ब्रजमणि सिंह दृ मणिपुर न्यूज, 20 अगस्त 2000 मणिपुर, गोली मारकर हत्या

23 प्रदीप भाटिया दृ द हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रीनगर, 10 अगस्त 2000 बम धमाके में भाटिया समेत छः अन्य पत्रकारों की मौत

24 वी. सेल्वरज दृ नक्कीरन, 31 जुलाई 2000 तमिलनाडु, चाकू मारकर हत्या

25 अधीर राय दृ फ्रीलांसर, 18 मार्च 2000, झारखंड, गोली मारकर हत्या

26 एन.ए. लालरूहलू दृ शान, 10 अक्टूबर 1999, मणिपुर, गोली मारकर हत्या

27 इरफान हुसैन दृ आउटलुक, 13 मार्च 1999 नई दिल्ली, अपहरण कर चाकू मारकर हत्या

28 शिवानी भटनागर दृ इंडियन एक्सप्रेस, 23 जनवरी 1999 नई दिल्ली,चाकू मारकर हत्या

29 एस. गंगाधर राजू दृ ईटीवी, 19 नवंबर 1997 हैदराबाद, कार बम धमाके में मौंत

30 एस. कृष्णा दृ ईटीवी, 19 नवंबर 1997 हैदराबाद, कार बम धमाके में मौंत

31 जी. राजशेखर दृ ईटीवी, 19 नवंबर 1997 हैदराबाद, कार बम धमाके में मौत

32 जगदीष बसु दृ ईटीवी, 19 नवंबर 1997 हैदराबाद, कार बम धमाके में मौत

33 पी. श्रीनिवास राव दृ ईटीवी, 19 नवंबर 1997 हैदराबाद कार बम धमाके में मौत

34 सईदन शफि दृ दूरदर्शन टीवी, 16 मार्च 1997 श्रीनगर, गोली मारकर हत्या

35 अल्ताफ अहमद फक्टू दृ दूरदर्शन टीवी, 1 जनवरी 1997 श्रीनगर, गोली मारकर हत्या

36 पराग कुमार दास दृ असमिया प्रतिदिन, 17 मार्च 1996, असम, गोली मारकर हत्या

37 गुलाम रसूल शेख दृ रहनुमा–ए–कश्मीर, 10 अप्रैल 1996 कश्मीर, अपहरण कर हत्या

38 मुस्ताक अली दृ एजेन्सी फ्रांस प्रेस, एशियन न्यूज इंटरनेशनल 10 सितंबर 1995 श्रीनगर, लेटरबम धमाके में मौत

39 गुलाम मुहम्मद लोने दृ फ्रीलांसर, 29 अगस्त 1994 कश्मीर, गोली मारकर हत्या

40 दिनेश पाठक दृ संदेश, 22 मई 1993 बड़ोदा, चाकू मारकर हत्या

41 भोला नाथ मासूम दृ हिंद समाचार, 31 जनवरी 1993 राजपुर, गोली मारकर हत्या

42 एम.एल. मनचंदा दृ आल इंडिया रेडियो, 18 मई 199 पंजाब, अपहरण कर हत्या

43 राम सिंह बिलिंग दृ अजदी आवाज, डेली अजीत, 3 जनवरी 1992 जालंधर हिरासत में मौत

44 बख्शो तीरथ सिंह दृ हिन्द समाचार, 27 फरवरी 1992 धुरी अज्ञात युवकों द्वारा हत्या

इन पत्रकारों में से अधिकतर पत्रकारों की हत्या गोली मारकर की गई है। अपहृत हुए पत्रकारों को तो बुरी तरह से प्रताडिध्त किया गया है। इसके अलावा पत्रकारों पर हमलों की खबरें तो आती ही रहती है। हाल ही में यूपी पुलिस द्वारा किया गया पत्रकार पर हमला, छत्तीसगढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकारों पर हमलों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रष्न चिन्ह लगा दिया है।

पत्रकारिता की नींव राष्ट्रवाद समाज के सही दिशा निर्माण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रखी गई थी। पत्रकारों को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की धारा 19,1 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के तहत वह

निर्भीकतापूर्वक अपनी बात को देश के सामने रखता है। लेकिन पत्रकारों की इस स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई जा रही है और उसकी आवाज को दबाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो है ही लोकतंत्र पर भी आघात है। यदि इसी तरह पत्रकारों पर हमलों की घटनाएं होती रही तो बहुत कम पत्रकार निर्भीक छवि वाले बचेंगे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी लड़खड़ा जाएगा। आज पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इससे सम्बन्धित उपयोगी कानून लाने की जरूरत है जिससे पत्रकार निर्भीकतापूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकें।

संवैधानिक दृष्टीकोण से भी प्रथम दृष्टया पत्रकारिता शैक्षिक योग्यता धारकों का पंजीकरण न करना अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। क्योंकि जब सभी ऐसे विषय क्षेत्र जिनकी अपनी परिषदें हैं, वे अपने शैक्षिक योग्यता धारकों का पंजीकरण करतीं है

जबकि भारतीय प्रेस परिषद ऐसा नही कर रही है।

ख्ठ,पंजीकरणख्ठ, विरोधियों का एक प्रमुख तर्क यह रहता है कि पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत से विषय समाहित है और उनके विशेषज्ञों द्वारा ही उन पर प्रसारण व प्रकाशन संभव है मात्र पत्रकारिता की शैक्षिक योग्यता रखने के आधार पर इसे सीमित नहीं किया जा सकता। इस बिंदु पर पंजीकरण समर्थकों का पक्ष यह रहता है कि यह तो सच है कि पत्रकारिता एक बेहद व्यापक क्षेत्र है तथा इसमें कई विषय विशेषज्ञों के बिना कार्य संभव नहीं है परन्तु विषय विशषज्ञों के विषय क्षेत्र में यह बात शामिल नहीं होती कि विषय का प्रसारण व प्रकाशन कैसे किया? पत्रकारिता की आचार संहिताएं क्या है? इत्यादी।

इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य विधाओं का संपादकीय क्षेत्र उन्ही के हाथों मे रहना अधिक उचित होगा जिन्होने पत्रकारिता की आचार संहिताएं, प्रेस विधि आदि का अध्ययन किया हो। हां यह जरूर है कि विषय विशेषज्ञों के विचार अपरिहार्य रूप से आमन्त्रित किये जाएं। यह एक़दम वैसा ही है जैसे कि न्यायालय में वकील को जिस विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी नही होती उसके विशेषज्ञ को न्यायालय में पक्ष व साक्ष्य रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है, परन्तु उन्हे अधिवक्ता की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

पंजीकरण विरोधियों का दूसरा एक तर्क यह होता है कि पंजीकरण होने से पत्रकारिता सरकार के नियंत्रण मे चली जाएगी क्यों कि सरकार के पंजीकरण रद्द करने के अवसर आ जाएंगे। वहीं समर्थकों का कहना है कि प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में मात्र निजी पंजीकरण का प्रावधान नहीं है और आज भी सभी मीडिया हाउसेस का पंजीकरण किया जाता है ऐसे मे उनका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही प्रेस परिषद एक स्वतंत्र इकाई है यह सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है और यदि एसा होता तो आज वकील और चिकित्सक सरकार के नियंत्रण में कार्य करने को विवश होते।

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब भारत पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संदर्भ में इतने नीचे पायदान पर खड़ा है, स्वर्ग की सीढ़ी और पाताल का रास्ता खोजने वाले कार्यक्रमों की भरमार है। 26 ध्11 जैसी कवरेज पर उच्चतम न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ऐसे में देश के पत्रकारिता के संपूर्ण ढांचे पर पुर्नविचार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। फिलहाल प्रकरण न्यायालय में लंबित है। भविष्य क्या होगा? यह एक सवालिया नि.ान के रूप में हमारे सामने उपस्थित है।

पत्रकारिता स्तर

संप्रदायों और व्यक्तियों पर अपमानजनक और उत्तेजक हमले नहीं किये जाने चाहिए। अफवाहों पर

आधारित सांप्रदायिक घटनाओं पर कोई भी समाचार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार महत्वपूर्ण चूक करते हुए विकृत रिपोर्टिंग करना सही नहीं होगा। जहाँ शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से किसी संप्रदाय की सही शिकायत को दूर करने के इरादे से इस ओर ध्यानाकृ.ट करना प्रेस का वैध कार्य है, वहीं शिकायतों की खोजध्अथवा इन्हें बढ़ा चढ़ाकर नहीं देना चाहिए विशे.ा रूप से उन शिकायतों को, जिनमें सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने की क्षमता हो।

स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करने में यह अत्यधिक लाभदायक होगा यदि सनसनीखेज उत्तेजक और खतरनाक शी.र्कों को छोड़ दिया जाये और हिंसा अथवा बर्बरता के कार्यों की रिपोर्ट इस प्रकार से की जाये कि राज्य की कानून और व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम न हो तथा इसके साथ–साथ इसमें ऐसे कार्यों को हतोत्साहित करने और उनकी निंदा करने का प्रभाव हो।

एक संप्रदाय को बदनाम करना गंभीर मामला है और इसे रा.ट्र–विरोधी गतिविधि बताना निंदा होगा और यह पत्रकारिता असंगति के समान है।

विगत गलतियों को दोहराने के विरूद्ध वर्तमान पीढ़ी को चेतावनी देने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकाशित करने में कोई असंगति नहीं है चाहे ये गलतियाँ एक विशेष संप्रदाय के लिये रूचिकर न हों।

धार्मिक संप्रदायों के बारे में वक्तव्य देने में कोई आपत्ति नहीं है यदि ये संयमित भा.ा में दिये जाते हैं और गलत अथवा बढ़ा–चढ़ाकर नहीं दिये जाते हैं।

पत्रकारिता का अनुचित प्रयोग

पत्रकारिता के अनुचित प्रयोग के संबंध में अपने निर्णयों के माध्यम से परिषद् द्वारा विकसित किये गये कुछ सिद्धांत हैं

विश्वास में लेकर दर्शाया गया अथवा विचार–विमर्श किया गया कोई मामला, स्रोत की सहमति लिये बिना प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। यदि संपादक को ऐसा लगता है कि प्रकाशन जनहित में है, तब उसे उचित पाद–टिप्पणी में यह स्प.ट करना चाहिए कि सम्बद्ध वक्तव्य अथवा विचार–विमर्श प्रकाशित किया जा रहा था यद्यपि इसे अनाधिकारिक दिया गया था।

एक विज्ञापन जिसमें कुछ भी गैर–कानूनी अथवा अवैध हो अथवा जोकि सुरूचि अथवा पत्रकारिता नीति अथवा औचित्य के विपरीत हो, प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

समाचारपत्रों द्वारा उद्धरणों के संबंध में सटीकता बनाये रखने के लिये समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

जहाँ एक समाचारपत्र पर पत्रकारिता नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, यह तर्क कि

उसने प्रकाशन बंद कर दिया है, संपादक का बचाव नहीं होगा क्योंकि उनका आचरण ही शिकायत का विषय है।

अश्लीलता और कुरूचि

रूचि का अर्थ सन्दर्भ के अनुसार अलग–अलग होता है। पत्रकार के लिये इसका अर्थ है कि जिसे शालीनता अथवा औचित्य के आधार पर उन्हें प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जहाँ एक मामले में यौन संबंधी भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति हो, पत्रिका में इसका प्रकाशन जनता, युवा अथवा वृद्ध के लिये अवांछनीय होगा। जनरूचि को बातावरण, परिस्थिति के साथ समसामयिक समाज में विद्यमान रूचि की धारणाओं के साथ परखा जाना चाहिए।

अश्लीलता का मूल परीक्षण यह है कि क्या मामला इतना अभद्र है कि यह चरित्र को बिगाड़ अथवा भष्ट कर सकता है। अन्य परीक्षण यह है कि क्या प्रयुक्त भाषा और दृश्य का चित्रांकन गंदा, अश्लील, अरूचिकर अथवा कामुक समझा जा सकता है।

कोई भी कहानी अश्लील है अथवा नहीं, पत्रिका की साहित्यिक अथवा सांस्कृतिक प्रकृति और सामाजिक वि.ाय के स्तर वस्तु जैसे कारकों पर निर्भर करेंगी। एक पत्रिका अथवा सामाचारपत्र के वि.ायगत मामले की पिक्चर का इस प्रश्न से संबंध होता है कि क्या प्रकाशित किया गया मामला जनरूचि के स्तरों से कम है अथवा नहीं। पिक्चर जनरूचि से कम है अथवा नहीं, यह परखने के सम्बद्ध कारकों में•से एक पत्रिका की प्रकृति अथवा उद्देश्य होगा– क्या यह कला, चित्रकला, दवा शोध ा, अथवा यौन सुधार से सम्बद्ध है।

प्रेस परिषद् ने मुद्रण मीडिया में अश्लील विज्ञापनों के बढ़ते हुए उदाहरणों पर चिंता व्यक्त की। यह सैंसरशिप के विरूद्ध थी परंतु प्रकाशन से पूर्व किसी अश्लील सामग्री की जाँच हेतु निवारण संबंधी उपायों का समर्थन किया गया। चूँकि ऐसे अधिकतर विज्ञापन, विज्ञापन एजेंसियों के जरिये दिये जाते हैं, परिषद् ने यह महसूस किया कि यह कार्य कठिन नहीं होगा यदि ये एजेंसियाँ ऐसे विज्ञापनों, जोकि एक औसतन नागरिक द्वारा परिवार में देखते हुए आपत्तिजनक समझा जाये, को तैयार और जारी करते समय अधिक सावधानी और समय बरतें। इन्होंने महसूस किया कि भारत की विज्ञापन एजेंसियों का संघ इन सभी विज्ञापन एजेंसियों के संरक्षक संगठन के रूप में मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा और ऐसे विज्ञापन न देने में इनके सहयोग की माँग की जोकि जिनसे सीघ्र समय मेंदेश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान पहुँचने की संभावना हो। परिषद् ने समाचारपत्रों से भी अपील की कि यें विज्ञापन दाताओं से प्रत्यक्षतया अथवा विज्ञापन एजेंसियों से प्राप्त होने वाले विज्ञापनों की सावधानीपूर्वक जाँच करें और अश्लील तथा आपत्तिजनक समझे जाने वाले

विज्ञापनों को अस्वीकार करके आत्म संयम बरतें। आक्षेपित प्रकाशन के विरूद्ध स्वयं द्वारा बनाये गये निम्नलिखित मार्गनिर्देशों को भी इन्होंने दोहराया।

समाचारपत्रों को ऐसे विज्ञापन नहीं देने चाहिए जोकि अश्लील हों अथवा महिला को नग्नावस्था में दर्शाते हुए पुरुषों की कामुकता को उत्तेजित करे जैसे कि वह स्वयं बिक्री की वस्तु हो।

एक तस्वीर अश्लील है अथवा नहीं, यह तीन परीक्षणों के संबंध में परखा जाना चाहिए. अभिधानतः

1, क्या यह अश्लील और आशालीन है. 2, क्या यह केवल अश्लील लेखन का अंश है,

3, क्या इस प्रकाशन का उद्देश्य केवलमात्र ऐसे लोगों में, जिनके बीच इसे परिचालित करने का इरादा है, तथा किशोरों की यौन भावनाओं को उत्तेजित करके पैसा कमाना है। दूसरे शब्दों में, क्या यह वाणिज्यिक लाभ के लिये हानिकारक शोषण है।

अन्य सम्बद्ध विचार योग्य वि.ाय यह है कि क्य तस्वीर पत्रिका के विषयगत मामले से सम्बद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या इसका प्रकाशन कला, चित्रकला, दवा, शोध अथवा यौन सुधार किसी सामाजिक अथवा लोक उद्देश्य के पूर्व चिंतन की पूर्ति करता है।

उत्तर का अधिकार

मूल सिद्धांत जोकि इस वि.ाय पर विभिन्न अभिनिर्णयों से निकलता है, पत्रों के प्रकाशन में संपादक के स्वनिर्णय का समर्थन करता है। हालाँकि, इनसे आशा की जाती है कि वे सार्वजनिक प्रकृति के मामले पर गलत वक्तव्य अथवा रिपोर्ट को स्वयं ठीक करेंगे। जानने के सार्वजनिक अधिकार के आध ार पर आम पाठक वैध अधिकार का दावा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कोई व्यक्ति जिसका प्रकाशन में वि.ाय रूप से सन्दर्भ दिया गया हो, समाचारपत्र के स्तंभो में उत्तर के अधिकार के लिये स्वतः दावा कर सकता है। यदि परिषद् को यह अधिकार नहीं है कि वह एक समाचारपत्र को प्रत्युत्तर प्रकाशित करने के लिए बाध्य करे, यह समाचारपत्र को इसके विरूद्ध जाँच पड़ताल का विवरण प्रकाशित करने के निर्देश दे सकती है।

समाचारपत्र का पूर्व सत्यापन

प्रकाशन से पूर्व समाचार का सत्यापन आवश्यक है विशे.ा रूप से जब रिपोर्ट में अपमानजनक अथवा लिखित मानहानि संबंधी अधिस्वर हों अथवा इससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता हो, न ही किन्हीं परिस्थितियों में भी लोगों के दूसरे वर्ग के विचारों के रूप में अफवाहों का प्रकाशन न्यायोचित ठहराया जा सकता है। जब भी किसी झूठे अथवा विकृत प्रकाशन पर संपादक का ध्यानाकृ.ट किया जाता है, तो उन्हें आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

मानहानि–अपमानजनक लेख

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के दूसरे अपवाद के अंतर्गत एक सार्वजनिक कर्मचारी के सार्वजनिक कार्यों के निर्वाह में उनके आचरण का सम्मान करते हुए अथवा उनके चरित्र का सम्मान करते हुए, जहाँ तक उस आचरण में उनका चरित्र दिखाई देता है, कुछ अन्य नहीं, सदभावना मे राय अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। तदनुसार परिषद् की राय है कि जनजीवन पर उचित टिप्पणीयोंध को अनुचित नहीं कहा जा सकता परंतु यदि कोई तथ्यात्मक वक्तव्य दिये जाते हैं, तो वे सत्य और सही होने चाहिए।

यदि कोई मानहानिजनक तत्व जुड़ा होता है, तो नुकसान हेतु किसी भी प्रकार की सिविल कार्यवाही में अधिक सद्भावना बचाव नहीं होगा।

निजता का अधिकार बनाम लोकप्रिय व्यक्ति

भारतीय प्रेस परिषद् ने लोकप्रिय व्यक्तियों के निजता के अधिकार और सार्वजनिक हित तथा सार्वजनिक महत्व की सूचना तक पहुँचने के प्रेस के अधिकार के मध्य संतुलन प्राप्त करने के लिये मार्गनिर्देश बनाये हैं। राष्ट्रीय और अंतर्रा.ट्रीय स्तर तथा दिल्ली में अप्रैल 1998 में प्रेस परिषदों के विश्व संघ के सम्मेलन में हुई गरमा गरम बहस में बल दिया गया कि इस संबंध में तीं प्रतियोगी संवैधानिक मूल्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, अर्थातः

क, एक व्यक्ति का निजता का अधिकार,

ख, प्रेस की स्वतंत्रता और

ग, जनहित में लोकप्रिय व्यक्तियों के बारे में जानने का लोगों का अधिकार।

परिषद् ने इस मामले पर रिपोर्ट तैयार की है और निम्नानुसार मार्गनिर्देश बनाये है –

निजता का अधिकार अनुल्लघंनीय मानवाधिकार है। हालाँकि निजता की डिग्री स्थिति और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिये अलग–अलग होती है। सार्वजनिक व्यक्तिं जोकि जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, प्राइवेट व्यक्ति के समान निजता की वही डिग्री पाने की आशा नहीं कर सकते। उनके कार्य और आचरण जनहित में होता है। जनहित, जनता की रूचि से अलग रखा जा रहा है, यदि प्राइवेट भी किये जायें, तब भी प्रेस के माध्यम से लोगों की जानकारी में लाये जायें। इसके अनुरूप यह सुनिश्चित करना प्रेस की ड्यूटी है कि सार्वजनिक व्यक्ति के सार्वजनिक हित के ऐसे कार्यों और आचरण के बारे में सूचना सही तरीकों से प्राप्त की जाती है, समुचित रूप से सत्यापित करने और तत्पश्चात सटीक रिपोर्ट दी जाती है। लागों की निगाह से दूर किये कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये, प्रेस से निगरानी वाले तरीके की आशा नहीं की जाती है। जहाँ से यह आशा की जाती है कि लोकप्रिय व्यक्तियों को तंग न करें, वहीं लोकप्रिय सार्वजनिक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती

है कि वे अपनी कार्यप्रणाली में अधिक खुलापन लायें तथा जनता को उनके प्रतिनिधियों के कार्यों के बारें में सूचित करने की प्रेस की ड्युटी को पूरा करने में प्रेस को सहयोग दें।

विज्ञापन और प्रेस स्वतंत्रता

संपादकीय नीति को प्रभावित कर लाभ उठाने के रूप में सरकार अथवा व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन देना अथवा वापिस लेना एक धमकी तथा प्रेस की स्वतंत्रता को संकट डालने अर्थात इस सन्दर्भ में संपादक की स्वतंत्रता को संकट में डालने के समान है। सरकार के मामले में ऐसा विशेष रूप से होता है क्योंकि यह सार्वजनिक निधि न्यासी है, अतः भेदभाव किये बिना इसके उपयोग के लिये बाध्य है। ट्रिब्यून का मामला, पी.सी.आई. वार्षिक रिपोर्ट, 1970, पृ0 45।

एक समाचारपत्र द्वारा अधिकार के मामले के रूप में सरकार सहित किसी पार्टी से विज्ञापनों का दावा नहीं किया जा सकता। सरकार वस्तुपरक कसौटी के आधार पर विज्ञापन देने की अपनी नीति बना सकती है। परंतु समाचारपत्र की संपादकीय नीति पर विचार किये बिना सार्वजिनक रूप से विवेचित सिद्धांतों के आधार पर यह किया जाना चाहिए। साप्ताहिक मुजाहिद के मामले, पी.सी.आई. रिव्यू जुलाई 1983 पृ0 44 और ट्रिब्यून, पी.सी.आई. वार्षिक रिर्पोट 1970, पृ0 45।

यदि एक संपादक अपने समाचारपत्र से असम्बद्ध अनुचित व्यवहार अथवा कार्यवाही का दो.ी है, तो उसके विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की जा सकती है परंतु वह समाचारपत्र जिसका वह संपादक हो, को विज्ञापन देने से इंकार करना न्यायोचित नहीं होगा। यह एक समाचारपत्र के कर्मचारी अथवा इसके मालिक तक पर लागू होता है। सर्चलाइट और प्रदीप का मामला, पी.सी.आई वार्षिक रिपोर्ट, 1974, पृ0 11। हो सकता है कि एक संपादक, अथवा अन्य पत्रकारों के बाह्य कार्यकलाप, उस पर प्रकाश डालें जोकि वह समाचारपत्र के लिये लिखता है, तथा ऐसे लेखों के अनुचित होने पर समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही न्यायसंगत है। तथापि, यह अनुचित प्रकाशन और कर्मचारियों के कार्यकलापों जोकि समाचारपत्र से असम्बद्ध हों, के लिये है।

अनुचितता और प्रेस स्वतंत्रता

टिप्पणी को एक विशेष रेखा स्वीकार करना के लिये पत्रकार को प्रलोभन देना और पत्रकार द्वारा ऐसे प्रलोभन को स्वीकार करना अनुचित है। सरकार द्वारा अनुचित प्रलोभन दिये जाने पर स्थिति बदतर हो जायेगी, क्योंकि तब मीडिया कानूनी रूप से दबाव डालने का शस्त्र बन जायेगा। (पूवोक्त)

एक पत्रकार के लिये ऐसा कार्य स्वीकार करना जोकि उनके व्यवसाय की नि.ठा और गौरव के विरूद्ध हो अथवा पत्रकार के रूप में उनके स्टेटस का शोषण हो, अनुचित है। (पूर्वोक्त)

एक समाचारपत्र के संपादक को उनके समाचारपत्र में प्रकाशित पत्र की सूचना के स्त्रोत को प्रकट

करने के लिये नहीं कहा जा सकता। अर्जुन बाण का मामला, पी.सी.आई रिव्यू, जुलाई 1983, पृ0 53।

एक पत्रकार को अपने निजी और गोपनीय सूचना का स्त्रोत प्रकट करने के लिये कहना, जनहित की घटनाओं पर रिपोर्ट करनें के उनके दायित्व के उल्लंघन के समान है और प्रेस की स्वतंत्रता को धमकी देना है प्रेस संवाद् दाता का मामला, हिन्द समाचार, पी.सी.आई, वार्षिक रिपोर्ट 1973 पृ0 27।

पुलिस द्वारा एक समाचारपत्र के संपादक को, पुलिस के कार्यों से सम्बद्ध समाचार के प्रकाशन के विरूद्ध आपने संवददाता को चेतावनी देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह प्रेस के मौलिक अधिकार के विरूद्ध होगा। विश्व मानव, का मामला, पी.सी.आई. रिव्यू, अक्टूबर 1983, पृ0 52।

इस भावना के कारण कि किसी स्थिति की रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर दी गई थी और एजेंसी पर दबाव डालने के लिये समाचार एजेंसी की टेलीपिन्टर सेवा कें अंशदान को जानबूझकर बंद करना प्रेस की स्वतंत्रता को धमकी के समान होगी। संसद के पूर्व सदस्य का मामला, पी.सी.आई. वार्षिक रिपोर्ट 1972 पृ0 7।

एक समाचारपत्र को समाचार प्रेषण के लिये निकालना और संपादकों के व्यावसायिक कर्त्तव्य के निर्वाह में कार्यकलापों के लिये उन्हें गिरफ्तार करना और समाचारपत्रों को कुछ ग्रुपों के कार्यों से सम्बद्ध कुछ भी प्रकाशित करने से रोकने के लिये सरकार द्वारा चेतावनी पत्र जारी वैध रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को धमकी की आशंका को बढ़ावा दे सकता है। प्रेस परिषद् द्वारा मूल कार्यवाही, पी.सी. आई रिव्यू, अपैल 1983, पृ0 52।

१. प्रभाव

संवाददाता को हमेशा यह ध्यान में रखना होता है कि कौन दृ कौन से समाचार उसके पाठक समूह या आम आदमी के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं या फिर उससे सीधे दृ सीधे जुड़े होते हैं। कओई बार एक ही समाचार में कई दृ कई बातें ऐसी होती हैं, जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करती हैं या उनकी सीधा जुड़ाव होता है। ऐसी स्थितियों में यह देखना जरूरी हो जाता है कि कौन सी बात व्यापकता के साथ जनमानस के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। इसी बात को ऊपर रखकर समाचार की संरचना की जाती है।

उदाहरण के लिये नगर पालिका या नगर निगम की बैठक में सदस्यों द्वारा गृहकर बढाने और शहर में एक हर सुविधा से सुसज्जित अनाथालय बनाने का निर्णय लिया जाता है। मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखा जाए तो निश्चित ही अनाथालय बनाने का निर्णय महत्वपूर्ण लगता है और यह नगरवासियों के लिये एक नया समाचार भी हो सकती है, लेकिन गृहकर बढाने का निर्णय नगर के लगभग सभी निवासियों से जुघ्ड़ा है और उन्हें प्रभावित करने जा रहा है। इसलिये गृहकर बढने का

समाचार प्रमुखता से देना होगा।

२. बात का वजन

समाचारों को प्रस्तुति देते समय यह देखना जरूरी हो जाता है कि किसी समाचार में कितना वजन है और वह उसकी तरह के अन्य समाचारों से किस तरह महत्वपूर्ण है। वजन की बात समझने के लिये संवाददाता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है और यह विवेक उसके अनुभवों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिये हत्याओं के समाचार में लूट के समाचार से अधिक वजन है और लूट के समाचार में छीना–झपटी के समाचार से अधिक वजन है। कई बार समाचारों का वजन इस आधार पर तय करना पड़ता है कि वह समाचार, जिस क्षेत्र में प्रकाशित या प्रसारित हो रहा है, उस क्षेत्र का सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आपराधिक ताना–बाना किस प्रकार का रहा है और रहेगा। स्थानीयता के आधार पर समाचारों को प्रस्तुत करके अपने समाचार पत्र या चौनल के लिये अधिक से अधिक पाठक व दर्शक तैयार किये जा सकते हैं।

३. विवाद

विवाद समाचारों का बहुत ही प्रिय शब्द रहा है। यदि किसी समाचार पत्र या चौनल पर प्रस्तुत होने वाले समाचारों पर ध्यान दें तो अधिकांश समाचार विवादों से उपजते दिखेंगे, विवाद लिये हुए होंगे या फिर विवाद को जन्म देते लगेंगे। आरोप दृ प्रत्यारोप, आंदोलन–समझौता, शिकायत–कार्यवाही, जांच–कार्रवाई, बैठक–बहिष्कार आदि सभी किसी न किसी विवाद से जुड़े होते हैं और समाचार को जन्म देते हैं। ऐसे समाचारों को प्रस्तुत करना इसलिये भी जरूरी रहता है कि इनसे समाज के कई वर्गों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होता है।

४. विषमता

चार्ल्स डाना ने १८८२ में समाचार को परिभाषित करते हुए कहा था कि आदमी को कुत्ता काट ले तो यह सामान्य सी बात है, समाचार तो तब बनता है, जब आदमी कुत्ते को काट ले। कई मझे हुए पत्रकरों की धारणा रहती है कि जनता हैरान होने या चौंकने का पूरा आनन्द उठाती है। इसलिये कहीं कोई विषमता या फिर असामान्य दिखाई दे, तो उसे समाचार बनाने से नहीं चूकना चाहिए। संवाददाता अगर विषमताओं और असमान्य की खोज पर निकले तो उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है।

उदाहरण के लिये थानेदार के यहां चोरी का समाचार, जनता द्वारा शराबी पुलिस की जमकर धुनाई का समाचार, बहू द्वारा सास को जला डालने का समाचार, परीक्षा देते समय ही प्रसव पीड़ा उठने और बच्चा पैदा होने का समाचार, पुलिस संरक्षण में महिला से बलात्कार का समाचार आदि। वास्तव में समाज के हर पहलू से जुड़े तरह–तरह के विषयों में ऐसी विषमताएं मिल ही जाती हैं, जो समाचार

का रूप ले सकती हैं। आवश्यकता है उन्हें परखने की क्षमता विकसित करने की।

५. नूतनता

पाठकों को असाधारण, नवीन, ताजा से ताजा समाचार आकर्षित करते हैं। समाचार प्रस्तुत करने में विलंब होने पर वे निस्तेज और निरर्थक हो जाते हैं। यही कारण है कि आकस्मिक रूप से घटित घटनाओं के समाचारों को समाचार पत्रों में अर्ध विकसित रूप में ही तुरंत ही दे दिया जाता है और बाद में समाचार संकलित कर उसे विकसित रूप में दिया जाता है।

६. सत्यता और यथार्थता

किसी घटना के यथार्थ, वास्तव्य और सत्य पर आधारित विश्लेषण, परीक्षण एवं पूर्वाग्रह या पक्षपातरहित परिशुद्ध एवं संतुलित विवरणों में स्पष्टता होती है, जो समाचार को मूल्यवान बनाती है और इन विवरणों पर दृढता, अटलता, दृढ प्रतिज्ञता और निश्चयात्मकता, जो समाज के हित में होती है, समाचार पत्र के हित अर्थात उसकी खपत बढाने में भी सहायक होती है।

७. निकटता या समीपता

पाठक के लिये निकटस्थ छोटी से छोटी घटना दूर बड़ी घटना से अधिक महत्वपूर्ण होती है। आत्मीय लगाव व अपनेपन के कारण वह अपनी निकटवर्ती या घनिष्ठ व्यक्ति, स्थान आदि से सम्बंधित घटना में अधिक रुचि लेता है, इसलिये जिस स्थान का समाचार दिया जा रहा हो और जिस स्थान पर समाचार पंत्र प्रकाशित हो रहा हो उसमें भौगोलिक निकटता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

८. आत्मीयता

आत्मीयता अंतस्थ सहानुभूति को खोलती है और पाठकों को समाचारों से जोड़ती है। मानवीय गुणों जैसे दृ प्रेम, ईर्ष्या, दया, सहानुभूति, त्याग, भय, आतंक, घृणा, हर्ष से संबंधित समाचार आत्मीय होने के कारण पाठकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं।

९. उपयोगिता

जन–सामान्य के रहन दृ सहन, उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या, लोक–व्यवहार, उद्योग व्यवसाय में आवश्यक, लाभदायक, सहयोगी व उपयोगी सभी सूचनाएं व जानकारियां समाचार पत्र की उपयोगिता को बढाती हैं, जो कि पाठकों को समाचार पत्र खरीदने के लिये बाध्य करती हैं।

१०. विचित्रता

मनुष्य की वृत्ति सदा ही जिज्ञासु रही है। संशय और रहस्य से पूर्ण समाचार पाठकों को आकर्षित करने के साथ उनकी जिज्ञासा को भी शांत करते हैं।

समाचार के साथ समाचार प्रस्तुत करने का अनोखापन, सुंदर ढंग पाठकों का मनोरंजन करने के

साथ असाधारण सौंदर्यानुभूति व आनंदानुभूति कराते हैं।

११. वैयक्तिकता

आम और खास व्यक्ति के आधार पर समाचार भी विशेष और गौण महत्व रखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया गया साधारण काम और किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा किया गया विशेष काम या आप्रत्याशित उपलब्धि समाचार बन जाती है। इन समाचारों में साधारण दृ विशेष, अमीर दृ गरीब, छोटे–बड़े सभी पाठक अपना बिम्ब देखते हैं, इसीलिये इसे समाचार तत्व प्राप्त होता है।

१२. एकात्मता

एकता, अखण्डता, समानता, अभिन्नता हमारे देश, समाज और समुदाय की आत्मा है। ये हम आदर्श व जीवनमूल्य हैं। ये हमारे मन में एकत्व का भाव जगाते हैं। इनका अनुभव भौगोलिक सीमा के बाहर भी होता है इसलिये समाचार पत्रों में देश, समाज व धर्म से जुड़े इन आधारों को भी महत्व दिया जाता है।

१३. सुरुचिपूर्णता

पाठकों की रुचि को प्रभावित करने वाले समाचार अधिक पठनीय होते हैं। प्रत्येक पाठक की समाचार में रुचि उसकी शिक्षा, सामाजिक वातावरण, समाज में स्थिति, उद्योग–व्यवसाय, उम्र आदि पर निर्भर करती है। फिर भी, आम चुनाव, प्राकृतिक आपदा, वैज्ञानिक अविष्कार, दंगे, खेल आदि से संबंधित समाचारों में सभी की रुचि होती है।

१४. परिवर्तनशीलता

मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है। उसकी इच्छा–अनिच्छा, पसंद–नापसंद, रुचि–अभिरुचि सदा परिवर्तित होती रहती है। इस कारण समाज या व्यक्ति के कार्य में भी परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिवर्तनों के सामयिक समाचार पाठकों का ध्यान खींचते हैं।

१५. रहस्यपूर्णता

मानवजीवन रहस्यों के पूर्ण है। मानव स्वाभाव है कि उसके मन में हर पल, क्या, कहां, क्यों, कब, कैसे, किसने जैसे प्रश्न उठते रहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के साथ गुप्त भेदों, गोपनीय विषयों के राज खुलते जाते हैं और पाठक को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है।

१६. महत्वशीलता

यदि किसी घटना का परिणाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हो तब भी वह समाचार पाठकों के लिये अधिक महत्वपूर्ण

होता है।

१७. भिन्नता

बहुधा एक ही तरह के समाचार एकरूपता के कारण पाठक को आकर्षित नहीं कर पाते। भिन्न दृ भिन्न तरह के तथा अलग दृ अलग ढंग से प्रस्तुत समाचार पाठकों को अधिक आकर्षित और प्रभावित करते हैं।

१८. संक्षिप्तता

आज की जिंदगी भाग–दौड़ की और तेज जिंदगी है। आज हर व्यक्ति अपने में, अपनी जिंदगी में और अपने घर–परिवार में व्यस्त है। उसके पास बड़े दृ बड़े व लम्बे समाचारों को पढने के लिये अतिरिक्त या खाली समय नहीं है इसलिये उचित, आवश्यक व योग्य समाचारों के साथ ही सरल, सुंदर, सही, लचीली, धारदार, रोचक भाषा शैली में दिये गये समाचारों का अपना महत्व होता है, जो कि समाचार का एक मुख्य तत्व है।

१९. स्पष्टवादिता

तथ्यों व जानकारियों के साथ विचारों और प्रस्तुतिकरण में स्पष्टवादिता का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि स्पष्टवादिता ही पाठकों में समाचारों के प्रति विश्वास पैदा करती है।

२०. आकार और संख्या

आकार और संख्या के आधार पर भी किसी घटना का समाचार मूल्य आंका जाता है। विमान या रेल दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा–बाढ, अकाल, महामारी आदि तथा दंगे में अधिक संख्या में मृत और घायल यात्रियों, लोगों से सम्बद्ध समाचारों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि कम लोगों या यात्रियों की मौत के समाचार समाचार की दृष्टि से अपेक्षतया गौण होते हैं।

२१. समीक्षात्मकता

समाचार समीक्षा करने योग्य या समीक्ष्य हों तो पाठकों को उसका ठीक–ठीक मूल्यांकन करने, दृ ढता से प्रमाणित करने तथा अपनी राय या सम्मति प्रकट करने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि समीक्षात्मकता समाचार का आवश्यक तत्व है।

२२. प्रतिफल

संवाददाता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह पिछली घटनाओं, भुक्तभोगियों व विषय विशेषज्ञों की राय और अपने आकलन का सहारा लेकर अपने पाठकों व दर्शकों को किसी सूचना, स्थिति या घटना के प्रभाव, परिणाम या प्रतिफल के प्रति भी सचेत करता चले। सच्चाई यह है कि हर कोई यह जानना चाहता है कि अब क्या होगा? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बचा कैसे जाए? आदि दृ आदि।

इसलिये लोगोंके साथ अपने समाचार पत्र या चौनल का सीधा सम्बंध बनाने के लिये यह जरूरी है कि संवाददाता सूचनाओं, स्थितियों व घटनाओं का विधिवत आकलन करे और विश्वसनीय तरीके से लोगों को आगे आने वाले समय के लिये जागरुक करे।

समाचारों की पहचान में स्थानीयता का पुट होना बहुत जरूरी है। यह तय होना जरूरी है कि इस समाचार के पाठक या दर्शक किस परिवेश, किस भाषा, किस संस्कृति और किस रुचि के हैं। यदि इन चार जरूरी स्थानीय तत्वों को नजरअंदाज कर दिया गया तो यह निश्चित है कि समाचार और समाचार प्रस्तुत करने वाला संवाददाता अपने पाठकों और दर्शकों के बीच पैठ नहीं बना सकेगा। यह न केवल समाचार पत्र चौनल के लिये बल्कि समाचार एकत्र करने वाले संवाददाताओं के लिये घातक होता है। बहुत बार देखा जाता है कि जिस संवाददाता की पैठ अपने पाठकों और दर्शकों के बीच होती है, उसे समाचारों का टोटा कभी नहीं होता है। ऐसा इसलिये होता है कि उसके पाठक या दर्शक स्वयं में उसमें प्रचारक, प्रसारक व पोषक की तरह काम करने लगते हैं।

आन डिमांड सर्विस के इस समय में किसी संवाददाता के लिये यह जान लेना जरूरी होता है कि उसे जिस क्षेत्र में कार्य करना है, वहां के लोगों का परिवेश, संस्कृति, भाषा और रुचि किस तरह की है। इन चार स्थानीय तत्वों को जान लेने के बाद यह समझ लेना आसान हो जाता है कि जिस क्षेत्र में संवाददाता को काम करना है, वहां के लोगों की समाचारों से कैसी आशायें हैं यानी उनकी न्यूज डिमांड क्या है।

संदर्भ

भारतीय पत्रकारिता कोश (गूगल पुस्तक)
हिन्दुस्तानी मिडिया पत्रकारिता कोश (हिंदी जालस्थल)
हिन्दी आनलाइन पत्रकारिता कोश (न्यूजप्लस)
बिहार की साहित्यिक पत्रकारिता – साहित्यकार और साहित्य
गाँधी जी, पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन – विद्या विनोद गुप्त
महादेव देसाई द्वारा रचित पत्रकारिता–पुस्तिका (पीडीएफ में)
स्वाधीनता सेनानी लेख–पत्रकार (गूगल पुस्तक य लेखिका – आशारानी वोरा)
आइये सीखें पत्रकारिता (हिन्दी चिट्ठा)
मलावटी मीडिया के खतरों को पहले ठीक से समझ लें
विज्ञान पत्रकारिता (गूगल पुस्तक य लेखक – मनोज पिटैरिया)

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में म.प्र. शासन की भूमिका

ज्योति विश्वकर्मा
शोध छात्रा (वाणिज्य)
बरकतुल्लाह वि.वि. भोपाल

औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतर दर पर और खपत के आधार पर वृद्धि देश के समग्र आर्थिक विकास का एक निर्धारक है। इस संबंध में, भारत सरकार ने भारतीय उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने और विश्व के बाजार में इसकी उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए समय–समय पर औद्योगिक नीतियां जारी की हैं।

औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१

केन्द्र सरकार को अपनी औद्योगिक नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए साधन मुहैया कराने की दृष्टि से कई विधान लागू किए गए है और बदलने हुए परिवेश के अनुरूप उनमें संशोधन किया गया है। सबसे महत्व्वपूर्ण है औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआरए) जो औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 के अनुसरण में लागू किया गया था। यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा भारत में उद्योगों के विकास और पंजीकरण के प्रयोजनार्थ तैयार किया गया था।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सरकार के निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करना हैरू– (प) उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठानाय (पप) औद्योगिक विकास की पद्धति और दिशा को नियंत्रित करनाय जनहित में औद्योगिक उपक्रमों के कार्यकलापों, निष्पादन और परिणामों को नियंत्रित करना है। यह अधिनियम इस अधिनियम की पहली अनुसूची में अनुसूचीबद्ध उद्योगों पर लागू होता है। लेकिन, लघु औद्योगिक उपक्रम तथा अनुषंगी इकाइयों को अधिनियम के उपबंधों से छूट दी गई है।

यह अधिनियम उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उसके औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

(डीआईपीपी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। डीआईपीपी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए संवर्धनात्मक और विकासात्मक तैयारी करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह सामान्य रूप में औद्योगिक विकास और उत्पादन और विशेष रूप में चुनिन्दा औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि सीमेंट, कागज और लुगदी, चमड़ा, टायर और रबर हल्के बिजली उद्योगों, उपभोक्ता वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, हल्के मशीन यंत्रों, हल्की औद्योगिक मशीनरी, इल्के इंजीनियरों उद्योगों आदि की निगरानी करता है। यह देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अन्तर्वाह को सुसाध्य बनाने और उनमें वृद्धि करने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय क्षमता अधिग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए भी जिम्मेदार है।

अधिनियम के विभिन्न उपबंध निम्नलिखित हैं –

केन्द्र सरकार को उद्योगों को उद्योगों के विकास संबंधी मामलों, कोई नियम बनाने और अधिनियम को प्रशासित करने से संबंधित अन्य किसी मामले पर सलाह देने के प्रयोजन से संघ केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना करना। इसके सदस्यों में औद्योगिक उपक्रम के मालिकों के प्रतिनिधि I, कर्मचारी, उपभोक्ता, मुख्य आपूर्तिकर्ता शामिल होंगे।

किसी अनुसूचित उद्योग अथवा अनुसूचित उद्योग समूह के विकास के प्रयोजन से एक विकास परिषद की स्थापना करना। इस परिषद में मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, कर्मचारी उपभोक्ता आदि और उद्योगों के तकनीकी अथवा अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों का विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

विकास परिषद उसे केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी– (प) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों को समन्वित करना और समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करना। बरबादी को कम करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार करने और लागतों को कम करने के लिए कार्यकुशलता के मानदण्डों का सुझाव देना। संस्थापित क्षमता के भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने तथा उद्योग विशेष रूप से कम कुशल यूनिटों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना। बेहतर विपणन के प्रबंधों को बढ़ावा देना और उद्योग की उपज के वितरण और बिक्री की ऐसी प्रणाली का पता लगाना, जो उपभोक्ताओं के लिए संतोषप्रद हो। (अ) उद्योग से जुड़े अथवा जुड़ने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उस संबंधित तकनीकी और कलात्मक विषयों में भी शिक्षा को बढ़ावा देना आदि।

विकास परिषद समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसने क्या किया इस संबंध में एक रिपोर्ट (वार्षिक रूप से) तैयार करके केन्द्र सरकार और सलाहकार

परिषद को प्रेषित करेगा। रिपोर्ट में लेखों के संबंध में लेखा परिक्षकों द्वारा तैयार की गई कोई भी रिपोर्ट की प्रति सहित विकास परिषद की उस वर्ष की लेखा विवरणी शामिल होगी।

आईडीआरए केन्द्र सरकार को सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपयुक्ध्त छूटों का लाइसेंस देने के जरिए उद्योगों के विकास के विनियमित करने की शक्तियां प्रदान करेगा लाइसेंस अधिनियम की अनुसूची में शामिल की गई विनिर्दिष्ट वस्ध्तुओं के विनिर्माण के लिए औद्योगिक उपक्रम को सरकार की लिखित अनुमति होगी। इसमें औद्योगिक उपक्रम का ब्यौरा, इसका स्थ्थल, विनिर्माण की जाने वाली वस्ध्तुओं के आधार पर उसकी क्षमता और इस अधिनियम के तहत लागू की जाने वाली अन्य उचित शर्तें निहित होंगी।

यदि लाइसेंस के लिए आवेदन को अनुमोदन प्राप्ध्त हो जाता है और इसमें आगे कोई बाधा (जैसे कि विदेशी सहयोग और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की) नहीं हो और न कोई और पूर्व शर्तें पूरी की जानी हो तो आवेदक को औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अन्ध्य मामलों में एक आशय पत्र जारी किया जाएगा जो कुछ शर्तें जैसे कि विदेशी निवेश के प्रस्ध्ताव का अनुमोदन, पूंजीगत वस्ध्तुओं का आयात आदि को पूरी किए जाने पर लाइसेंस प्रदान करने की सरकार की मंशा को व्ध्यक्ध्त करती हैं।

सरकार औद्योगिक उपक्रम को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व जांच का आदेश देगी। यदि सरकार का यह मत है कि किसी अनुसूचित उद्योग अथवा उपक्रम के संबंध में उत्पादन की मात्रा में काफी कमीय अथवा उत्ध्पाद की गुणता में जबरदस्त गिरावट अथवा उत्पाद के मूल्य में अनुचित वृद्धि हुई है अथवा होने की संभावना है यदि, उसका यह मत भी है कि किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध इस तरीके से किया जा रहा है जो संबंधी अनुसूचित उद्योगों के लिए अथवा जनहित में बहुत ही हानिकारक है तो वह जांच के आदेश देगी। ऐसी जांच के परिणामस्ध्वरूप सरकार को निम्ध्नलिखित सभी अथवा किन्हीं प्रयोजनों के लिए औद्योगिक उपक्रम को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की जाएगी–

औद्योगिक उपक्रम द्वारा उत्ध्पाद के उत्पादन को विनियमित करना तथा उत्ध्पादन के मानक निध्र्ारित करना

औद्योगिक उपक्रम से अपेक्षा करना कि वह उस उपक्रम से संबंधित उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक समझे गए कदम उठाना

औद्योगिक उपक्रम को किसी ऐसे अधिनियम अथवा प्रणाली पर आश्रित होने से रोकना जिससे इसका उत्पादन क्षमता अथवा आर्थिक मूल्य में कमी आ सकती है।

किसी उत्पाद के मूल्यों के नियंत्रित करना अथवा वितरण को विनियमित करना जिससे उचित

मूल्यों पर इसके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि जब किसी औद्योगिक उपक्रम से संबंधित कोई मामला जांच के अधीन हो तो केन्द्र सरकार किसी भी समय कोई निर्देश जारी कर सकती है। जब तक केन्द्र सरकार द्वारा इन निर्देशों में कोई परिवर्तन न किया जाए अथवा इन्हें रद्द न कर दिया जाए तब ये निर्देश प्रभावी रहेंगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार को सौंपी गई नियंत्रण शक्ति किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम की जो उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है समग्र रूप में अथवा उसके किसी भाग की प्रबंध व्यवस्था को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए बढ़ा दी जाती है। केन्द्र सरकार ऐसे उपक्रम की प्रबंध व्यवस्था भी अपने अधिकार में ले सकती है जिसका प्रबंधन ऐसे तरीके से किया जा रहा हो जो संबंधित अनुसूचित उद्योग के लिए अथवा जनहित में बहुत हानिकारक हो। इसके अलावा, केन्द्र सरकार समाप्त हो रही किसी कम्पनी के स्वामित्व में संचालित औद्योगिक उपक्रम की प्रबंध व्यवस्था को उच्च न्यायालय की अनुमति से अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है, यदि उसका यह मत है कि उस उपक्रम का संचालन करना अथवा उसका प्रचालन पुनः शुरू करना उत्पादन, आपूर्ति अथवा वितरण को बनाए रखना जनहित में आवश्यक है।

उदारीकरण होने तक, नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, वर्तमान उपक्रम द्वारा नई मद का विनिर्माण करने, उद्योग के स्थल में परिवर्तन करने, वर्तमान क्षमता में पर्याप्त रूप से विस्तार करने और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होती थी। लेकिन नई औद्योगिक नीति को उदार बनाया गया है और इसमें बहुत से उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है। आज के परिदृश्य में केवल उद्योगों की छै श्रेणियों को औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआरए) तहत औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत है। ये उद्योग पावती हेतु औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) प्रस्तुत करते हैं।

किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त होते है जिससे लोगों का रहन–सहन के स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है।

औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में नये–नये उद्योग–धन्धे आरम्भ हुए। इसके बाद आधुनिक औद्योगीकरण ने पैर पसारना अरम्भ किया। इस काल में नयी–नयी तकनीकें

एवं उर्जा के नये साधनों के आगमन ने उद्योगों को जबर्दस्त बढावा दिया।

लघु उद्योग (छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ) वे होती है जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती हैं। इन इकाइयों मे श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादान किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगो से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबन्ध, आगतों एवं निर्गतो के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। ये कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती हैं– उत्पादन में यंत्रीकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाये गये श्रमिकों एवं परिवारिक श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भौगोलिक आकार, विनियोजित पूंजी इत्यादि।

लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकार उद्योगों में किया है– 1. सूक्ष्म उद्योग 2. लघु उद्योग 3. मध्यम उद्योग।

मुख्यतया लघु उद्योगों को इन में विनियोजित राशि के मापदण्डो से वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण उपाय के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक नही होता है। लघु उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम होता है। मध्यम उद्योग वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पॉच करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रूपये से कम होता हो।

सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से आगे नहीं बढ़ता है और लघु उद्योग, जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपये से अधिक नही है एवं मध्यम उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम न हो।

भारतीय आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विर्निमाण क्षेत्र की संरचना एवं स्वरूप के महत्वपूर्ण भाग है।

भाषा की दृष्टि से यह एक आम प्रवृति रही है कि कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा लघु पैमाने के उद्योगों का आशय एक साथ ही समान रूप से लगाया जाता है जबकि इनमें आधारभूत अन्तर है। कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है। इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। उत्पादन भी प्रायः हाथ द्वारा किया जाता है। परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतन भोगी श्रमिक नही होते हैं। लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है। सवेतन श्रमिकों की प्रधानता रहती है तथा पूंजी निवेश भी होता है। कतिपय

कुटीर उद्योग ऐसे भी है, जो उत्कृष्ट कलात्मकता के कारण निर्यात भी करते है। अतः उन्हे लघु क्षेत्र में रखा गया था, जिससे उन्हें भी सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहे।

10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन, मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15 हजार रूपये से कम स्थिर पूंजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते है। राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ग्रामोद्योग उद्योग इन इकाइयों की स्थापना संचालन आदि में तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करते है।

लघु उद्योगों की आवश्यकता

सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्योग देश की सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थव्यस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। यह अनुमान किया जाता है कि मूल्य के अर्थ में यह क्षेत्र निमार्ण की दृष्टि से 39ः एवं भारत के कुल निर्यात के 33ः के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र का लाभ यह है कि इसकी रोजगार क्षमता न्यूनतम पूंजी लागत पर है। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार यह क्षेत्र 12.84 मिलियन माइक्रो और लघु उपक्रमों के जरिये अनुमानत 31.2 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र में मजदूरों की तीव्रता वृहद् उद्योगों की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा अनुमानित की गई है। लघु उद्योगों की आवश्यकता देश की परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा हेतु भी आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से लघु उद्योग निर्यात संवर्धन व देश को आत्म निर्भरता की और जाने हेतु है लघु उद्योग आयात प्रतिस्थापन में सहायक है। वे निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में लघु उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा अधिक निर्यात करते है एवं देश या राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में भी लघु उद्योग आवश्यक है।

लघु उद्योगों के उद्देश्य

1. लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है क्योंकि लघु उद्यमों के श्रम प्रधान होने के कारण उनमें विनियुक्त पूंजी की इकाई अपेक्षाकृत अधिक रोजगार कायम रखती है।

2. दूसरा मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना है। कुटीर व लघु उद्योगों से आर्थिक सत्ता का विक्रेन्द्रीयकरण होता है।

3. लघु उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विक्रेन्द्रीयकरण सम्भव है। इससे देश का आर्थिक विकास प्रौद्योगिक सन्तुलन एवं क्षेत्रीय प्रौद्योगिक विषमता को कम करते हुए सम्भव होता है।

4. श्रम प्रधान तकनीक के कारण श्रमिकों की बहुतायत रहती है। अतः आवश्यक है कि वे औद्योगिक शांति की स्थापना करें।

5. लघु उद्योगों के माध्यम से देश की सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित रहती है। अधिकाशतः लधु उद्योगों द्वारा कलात्मक एवं परम्परागत वस्तुओं का निमार्ण किया जाता है एवं अधिकांशतः ये उद्योग श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित होते है जिससे उद्योगों में पारस्परिक सद्भावना सहकारिता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना को बल मिलता है।

6. लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है कि वे प्राकृतिक साधानों का अनुकूलतम उपयोग करें।

7. मानवीय मूल्यों की दृष्टि से सादा जीवन उच्च विचारश की भावना का सृजन करें।

8. व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक है कि ये अत्याधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करें।

9. आम जनता को श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है।

10. भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इनका उद्देश्य अधिक से अधिक श्रेष्ठ उत्पादन करना है।

संदर्भ :

वार्षिक रिपोर्ट 2004–05
वार्षिक रिपोर्ट 2003–04
वार्षिक रिपोर्ट 2002–03
वार्षिक रिपोर्ट 2001–02
डीबीटी न्यूज लेटर
आवेदन पत्र एवं प्रोफार्मा
जैवप्रौद्योगिकी – एक संकल्पना
जैवप्रौद्योगिकी – उत्कृष्टता की खोज में और मानव जाति के लिए प्रासंगिक
भारत की जैवसूचनाप्रणाली नीति

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

मध्यप्रदेश के प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की प्रस्थिति का अध्ययन करना

दामोदर जैन, कंनिष्ठ व्याख्याता
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, भोपाल
एवं
डॉ. अश्वनी कुमार गर्ग, सहायक प्रध्यापक
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

संक्षेपिका

प्रस्तुत शोध के माध्यम से म.प्र. के प्रारंभिक स्तर कर कार्यरत शिक्षकों की प्रस्थिति का अध्ययन किया गया है। प्रस्थिति से तात्पर्य प्रांरभिक स्तर पर संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति है। प्रस्थिति अर्थात प्रारंभिक स्तर पर संचालित शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पद और प्रतिष्ठा की स्थितियाँ है। शिक्षकों की व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक स्थिति उनकी प्रतिबद्धता तथा तैयारी पर आधारित होती है। वर्तमान विषम परिस्थितियों के चलते शिक्षक वर्ग की प्रस्थिति निरंतर बदल रही है। बदलते परिदृश्य में शिक्षकों का चयन, भर्ती के तरीके, उन्हें प्राप्त होने वाला मानदेय और वेतन, प्रशिक्षण, कार्य की परिस्थितियाँ, शिक्षा तंत्र की कार्य पद्धति, सहयोगी कार्य योजना आदि के बारे में जानना और उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना आज की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही है क्योंकि शैक्षिक गुणवत्ता के ह्रास की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका और स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है जिस कारण वे शिथिल होते जा रहे हैं। शिक्षकों की निराशा और हताशा का दुष्प्रभाव उनके दैनंदिन कार्य पर पड़ता है, परिणामतः शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से शिक्षकों की वर्तमान प्रस्थिति को जानने तथा उनको बेहतर कार्य पद्धति हेतु कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है के बारे में जानने का प्रयास किया गया है ।

यह सर्वविदित है कि शिक्षक, शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख अंग होते हैं। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र

नि की प्रक्रिया में भी शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देश के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय सम्मान, बराबरी, भाईचारा, सामाजिक न्याय, तथा समानता के अवसर प्रदान किए गए हैं। इनको व्यवहारिक रूप देने का उत्तर–दायित्व शासन तंत्र द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सौंपा गया है और इन संवैधानिक अपेक्षाओं का निर्वाह करने के लिए शिक्षकों को अकादमिक रूप से सक्षम बनाने का निरंतर प्रयास भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1985) की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि शिक्षा और विकास में शिक्षकों की भूमिका निर्णायक किस्म की है। अनेक इतिहासकारों की मान्यता है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश और समाज में नागरिकों के निर्माण की जिम्मेदारी शिक्षकों पर रही है। समूची शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षक की केन्द्रीय भूमिका होती है।

वर्तमान में शिक्षकों के बारे में व्यवस्थातंत्र सहित समाज की राय दिनोंदिन बदल रही है। जिस प्रकार शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक, समाज के कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव शिक्षकों की कार्य पद्धति तथा शिक्षा पर पड़ता है। शैक्षिक व्यवस्था को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा तकनीकी गतिशीलता को अंतर्निहित करने के लिये शिक्षकों को तत्संबंधी क्षमता तथा कौशलों को विकसित करना होता है। वर्तमान विषम परिस्थितियों के चलते शिक्षक वर्ग की प्रस्थिति निरंतर बदल रही है जिससे शैक्षिक गुणवत्ता की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका और स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है । शिक्षकों की निराशा और हताशा का दुष्प्रभाव उनके दैनंदिन कार्य पर पड़ता है, परिणामतः शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रस्थिति से तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति है। प्रस्थिति अर्थात प्रारंभिक स्तर पर संचालित शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पद और प्रतिष्ठा की स्थितियाँ है। स्थिति के घटक मुख्यतः अकादमिक स्थिति (जिसमें शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, सेवारत प्रशिक्षण और इनकी कार्यदशाएँ शामिल है), पेशेवर स्थिति (जिसमें सेवा शर्तो की स्थिति, पदोन्नति, विभिन्न शैक्षिक निर्णयों में सहभागिता के अवसर, स्वविकास हेतु क्षमता निर्माण के अवसर, अपनी आवाज बुलंद करने बावत् संघटन बनाने की स्थिति शामिल है), आर्थिक स्थिति (जिसमें वेतनमान, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याणकोष एवं पदोन्नति के प्रावधान शामिल है), सामाजिक स्थिति (जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक समितियों में सहभागिता, श्रेष्ठ कार्यो के लिए पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण आयोजनों में आमंत्रण शामिल है) शामिल है। शिक्षक की प्रस्थिति की एक अच्छी और प्रायोगिक परिभाषा 1966 में यूनेस्को की कांफ्रेस में की गई (जिसमें भारत भी सम्मिलित था)। जिसके अनुसार "शिक्षक की प्रस्थिति में शिक्षकों को समाज द्वारा दी जा रही इज्जत, प्रतिष्ठा और स्थान समाहित है, जो कि परिलक्षित होते हैं उनको

अपने कार्य को करने में लगने वाले कौशल को दिए जा रहे महत्व से। साथ ही कार्य की परिस्थितियाँ, मानदेय/वेतन और अन्य लाभांश जो अन्य व्यवसायिक समूहों की तुलना में बेहतर हो।"नई शिक्षा नीति 1986 में भी कहा गया है कि "कोई भी समाज अपने शिक्षकों से श्रेष्ठ नही हो सकता।

आज अनेक प्रकार की विसंगतियों के कारण अधिकांशतया शिक्षक, शासन और समाज की निगाह में प्रभावी शिक्षण नही कर रहे हैं और इसी कारण उनकी परम्परागत छवि व विश्वसनीयता क्षरित हुई है। शिक्षक अपना काम सुचारू रूप से क सकें इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही अंततः शिक्षा व्यवस्था को दी गई है। शोधकर्ताओं द्वारा शिक्षकों की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक प्रस्थिति को जानने के लिए स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया। इस अनुसूची में शिक्षकों के व्यक्तिगत् विवरण एवं शैक्षणिक कार्यो के विवरण को शामिल किया गया है। व्यक्तिगत् विवरण में शिक्षकों की सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवसायिक प्रस्थिति से संबंधित 50 प्रश्न तथा शैक्षणिक कार्यो के विवरण में कुल 52 प्रश्न शामिल किये गये हैं। शिक्षकों के व्यक्तिगत् विवरण में शिक्षकों के लिंग, वर्ग, पद, आयु, आवासीय क्षेत्र, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, शिक्षण कार्यानुभव, पुरस्कार/सम्मान, अन्य संगठनों से जुड़ाव, प्राप्त शिक्षण–प्रशिक्षण, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का प्रकार, परिवार के सदस्यों की आय व्यय, विद्यालय की दूरी तथा पहुंचने का साधन, आयकरदाता होने संबंधी, पृथक अध्ययन् कक्ष एवं पुस्तकालय की उपलब्धता, परिवार में आटोवाहन की उपलब्धता, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव, राष्ट्रीय सेवा योजना, साक्षरता अभियान, सर्वेक्षण, विद्यार्थी योजनाओं का सर्वेक्षण, सांस्कृतिक दल की सदस्यता, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं सहित समुदाय से विद्यालयीन कार्यो के बारे में चर्चा करने आदि बिन्दुओं को शामिल किया गया है। इसी प्रकार शिक्षकों के शैक्षणिक कार्यो के विवरण में विशेष रूप से कक्षा अध्यापन के पूर्व शिक्षण योजना निर्माण करना, विषयवस्तु की समझ एवं ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करना, सीखने को सरल बनाने की रणनीतियाँ (कक्षा प्रबंधन, सीखने की विधिया तथा गतिविधियाँ, संप्रेषण कौशल, मूल्यांकन–फीडबेक) विद्यार्थियों के साथ अंतः वैयक्तिक संबंध, व्यावसायिक विकास, उपस्थिति सहित शाला विकास की गतिविधियों में सहभागिता संबंधी बिंदुओं को शामिल किया गया है।

मध्यप्रदेश भौगालिक दृष्टि से पॉच प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित है जिसमें बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड, महाकौशल, मालवांचल एवं निमाड़ क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुये शोध के न्यादर्श का इस प्रकार चयन करने का प्रयास किया गया है कि शोध में लगभग 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो सके। प्रस्तुत शोध अध्ययन् में मध्य प्रदेश के 5 जिलों (टीकमगढ़, सीधी, जबलपुर, भोपाल, खण्डवा)के 100 विद्यालयों से 400 शिक्षकों, 100 प्रधानाध्यापकों एवं

100 पर्यवेक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । शोध में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों की सहायता से शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों सहित पर्यवेक्षकों से प्रश्नावली एवं मतावली का उपयोग कर जानकारी एकत्र की गई। इसके अलावा शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं प्रशासकों और संदर्भ व्यक्तियों से भी उपयुक्त जानकारी एकत्रित की गई । शोध न्यादर्श में सम्मिलित शिक्षकों की संख्या निम्नानुसार तालिका की सहायता से देखी जा सकती हैं–

म0प्र0 के प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि म0प्र0 में शिक्षकों की सामाजिक स्थिति के अनुसार सर्वाधिक शिक्षक (42:) पिछड़े वर्ग के हैं जबकि सामान्य वर्ग के शिक्षक (40:), अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षक (10:) तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षक मात्र (8:) हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षक सबसे कम हैं। सामान्य वर्ग के सर्वाधिक शिक्षक सीधी जिले में, पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक शिक्षक खंडवा जिले में, अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वाधिक शिक्षक जबलपुर जिले में हैं। इसी प्रकार पुरूष वर्ग में सर्वाधिक शिक्षक सामान्य जातिवर्ग में हैं जबकि महिला वर्ग में सर्वाधिक शिक्षक पिछड़ा वर्ग के हैं। मध्य प्रदेश के कार्यरत शिक्षकों में 43.6: शिक्षक संयुक्त परिवार में तथा 56.4: शिक्षक एकल परिवार में रहते हैं। इन शिक्षकों के परिवारों में से 50.8: शिक्षकों के परिवार में 5 सदस्य, 26.2: शिक्षकों के परिवार में 6 से 7 सदस्य, 7: शिक्षकों के परिवार में 8 से 9 सदस्य तथा 16: शिक्षकों के परिवार में 9 से अधिक सदस्य शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में 35: शिक्षकों के परिवार के सदस्य शासकीय सेवा में हैं जबकि 9: शिक्षकों के परिवार में कोई सदस्य राजनैतिक नेता है। 42: शिक्षक विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर उनके द्वारा आयोजित शिविर इत्यादि में सहभागी होते हैं जबकि 30: शिक्षक स्काउट एवं राष्ट्रीय सेवा योजना आदि में सक्रिय भाग लेते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या 49: है जबकि विभिन्न सामाजिक सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या 59: है। मध्य प्रदेश में 60: शिक्षक ऐसे हैं जो विभिन्न विद्यार्थी योजनाओं (बीमा योजना, गणवेश योजना, छात्रवृत्ति योजना) का संचालन करते हैं जबकि 27: शिक्षक गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए हैं। 24: शिक्षक किसी प्राकृतिक आपदा के समय बनाये गये सहयोगी कार्यदलों में शामिल होते हैं। प्रदेश के 10: शिक्षक सांस्कृतिक दलों के सदस्य हैं जबकि 72: शिक्षक ऐसे हैं जो शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनसमुदाय को देते हैं। 94: शिक्षक अपने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जनसमुदाय से चर्चा करते हैं।

म.प्र. में शिक्षकों की शैक्षिक स्थिति के अनुसार सर्वाधिक शिक्षक स्नातकोत्तर योग्यताधारी हैं जिनमें

पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है जबकि सबसे कम संख्या हायर सेकेण्डरी योग्यताधारी शिक्षकों की है जिनमें महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों की संख्या अधिक है। इसी प्रकार व्यवसायिक योग्यताधारी शिक्षकों में सर्वाधिक (53:) शिक्षक डी.एड. योग्यताधारी हैं जबकि सबसे कम शिक्षक एम. एड़. योग्यताधारी हैं। शिक्षण कार्यानुभव के आधार पर कार्यरत शिक्षकों में सर्वाधिक शिक्षक 5 वर्ष से कम शिक्षण अनुभव वाले हैं जबकि सबसे कम शिक्षक 15 से 25 वर्ष तक शिक्षण कार्यानुभव वाले हैं। प्रदेश में मात्र 32: शिक्षकों के घर में पृथक अध्ययनकक्ष है जबकि 45: शिक्षकों के घर में स्वयं का पुस्तकालय उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश में शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार सर्वाधिक (54:) शिक्षकों की मासिक आय 15000/– रूपये से अधिक है जबकि सबसे कम संख्या 10,000/– रूपये तक मासिक आय वाले शिक्षकों की है। अपनी मासिक आय का 75: तक व्यय करने वाले शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक (33.6:) है जबकि अपनी आय का 100: तक व्यय करने वाले शिक्षकों में पुरूषों की संख्या सबसे कम है। अपनी आय का 100: व्यय करने वाले शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक है जबकि अपनी आय का 50: व्यय करने वाले शिक्षकों में महिलाएँ अधिक है। प्रदेश में 40: शिक्षक आयकर दाता हैं जिनमें पुरूषों की संख्या अधिक है। म0प्र0 के प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों में 23: शिक्षक ऐसे हैं जो अपने आवास से विद्यालय तक पहुंचने में 15 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं जबकि 54: शिक्षक अपने आवास से विद्यालय पहुचने में 5 कि.मी. तक की दूरी तय करते हैं। अपने आवास से विद्यालय तक आवागमन करने में मोटर साईकल का उपयोग करने वाले शिक्षकों की संख्या 46: है जबकि 6: शिक्षक साईकिल का उपयोग करते हैं। स्वयं का आटो वाहन उपलब्ध होने वाले शिक्षक परिवारों की संख्या 46: है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं दस्तावेजो के अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षक संवर्ग को मृत संवर्ग (डाईंग केडर) घोषित कर देने के बाद वर्ष 1995 के बाद हुई संविदा आधारित नियुक्तियों के कारण से शिक्षकों की स्थिति और अधिक कमजोर हुई है। शिक्षा विभाग की अपेक्षा पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त हुए अध्यापक, अपनी सेवा–सुरक्षा और प्राप्त हो रहे मानदेय एवं वेतनमान में बढ़ोत्तरी को लेकर समय–समय पर आंदोलनरत होते रहते हैं। अपने शैक्षणिक दायित्वों के प्रति शिक्षकों द्वारा अपेक्षित सतर्कता न बरतने के कारण, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता चिंतनीय होती जा रही है। समय–समय पर प्रसारित प्रतिवेदनों में गुणवत्ता के गिरते स्तर के लिए शासन तंत्र और समाज द्वारा अंततः शिक्षकों को ही उत्तरदायी माना जा रहा है। अपनी गिरती छवि के कारण समूचे शिक्षक संवर्ग की मनःस्थिति, मनोबल और कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वभाविक है।

शिक्षकों की प्रस्थिति को उच्च स्तर की बनाने के लिए आवश्यक होगा कि शिक्षकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाये। समाज और सरकार को शिक्षकों की सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए और शिक्षकों को भी सरकार और समाज का भरोसा जीतने के लिए अपने कार्य दायित्वों को निष्ठापूर्वक संपादित करना चाहिए। शिक्षकों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जरूरी साधन और सुविधाऐं दी जानी चाहिएं। शिक्षकों के श्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित किया जाना चाहिए। शिक्षकों की भी ग्रेडिंग की जानी चाहिए और उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण की व्यवस्थाऐं की जानी चाहिए। शिक्षकों की पदोन्नति समय पर की जानी चाहिए तथा शिक्षकों के लंबित आर्थिक प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाना चाहिए। शिक्षकों के कार्यो का सार्थक अवलोकन किया जाना चाहिए और शिक्षकों के भी पोर्ट पोलियों बनाये जाने चाहिए। शिक्षकों को बेहतर कार्य पद्धति हेतु उत्साहित किया जाना चाहिए। सभी संवर्गो के शिक्षकों को एकीकृत करके उन्हें समान वेतनमान, समान सुविधायें, समान पदनाम और समान कार्य परिस्थितियाँ देनी चाहिए। शिक्षकों की समय–समय पर मानसिक परख की जानी चाहिए।

संदर्भ सूची :

जैन रश्मि, गनी असरार उल– परिप्रेक्ष्य न्यूपा नई दिल्ली (अगस्त 2005)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) : एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

चन्द्र, पूरन (2003) : प्राईमरी शिक्षक : एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

वैश्य, अंशु (2009) : शिक्षक विकास एवं प्रबंधन : मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (एम.एच.आर. डी.) नई दिल्ली

शिक्षक और समाज : राष्ट्रीय शिक्षक आयोग–1 की रिपोर्ट (1985)

राजपूत, जे.एस. (2009) : शैक्षिक परिवर्तनों की परख : यश पब्लिकेशन, नई दिल्ली

दुबे, सुरेन्द्रनाथ (2000) : शिक्षक गरिमा का प्रतिष्ठापन, अंतर्राष्ट्रीय अनुशंसाएँ (यूनेस्को द्वारा स्वीकृत) : ऑल इण्डिया फोरम फॉर अवार्डी टीचर्स, भोपाल

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों की भूमिका

डॉ. दीपेश कुमार पाठक
(अतिथि विद्ववान वाणिज्य)
शासकीय महाविद्यालय–आष्टा

भारत गॉव का देश है और भारती की आत्मा गांवों में बसती है। महात्मा गांधी का यह कथन आज भी प्रासांगिक है। हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि, जब भी हम प्रगति की बात करें तो ग्राम विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण को प्राथमिकता से देखना होगा। क्यों कि राष्ट्र की प्रगति ग्रामों की प्रगति पर निर्भर है एवं आदिवासी क्षैत्र हरिजनों के उत्थान पर अवलंबित है। ग्रामीण विकास को यदि हम व्यापक, परिप्रेक्ष में देखें तो यह लाखों गांव में रहने वाले करोड़ों दलितों एवं आदिवासियों के रहन–सहन के स्तर में वृद्धि करने का एक सचेत एवं नियोजित प्रयास है। गांव का तथा उसमें बसने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों का सहकारिता के माध्यम से आर्थिक सामजिक एवं भौतिक विकास समन्वित प्रकिया द्वारा किया जा सकता है। ग्रामीण समुदाय की वर्तमान आश्रय की धारणा को बदलकर स्वयं पर आधारित रहने, गांवों में उपलब्ध संसाधनों का ग्रामहित में सहकारिता के माध्यम से उपयोग करने तथा उन्हें उसकी वास्तविक सत्ता उनके हाथों में सौंपकर ही ग्राम का विकास का मार्ग प्रसस्त किया जा सकता है। ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण बैंकों के रूप में सहकारी बैंक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सहकारी बैंकों के मुख्य उद्देश्य भी ग्रामीणों व कृषकों के विकास पर केन्द्रित है, जैसे :– कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिये ऋण की व्यवस्था करना, अपने कार्य क्षैत्र के अन्तर्गत समस्त सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं समितियों के संन्तुलन केन्द्र के रूप में कार्य करना, अधिविकर्ष एवं नगद साख की व्यवस्था करना, बैंकिंग व्यापारों का परिचालन, विनियम पत्रों का कय–विकय एवं व्यवहार को सम्मिलित करना, भूमि विकास बैंक को शासकीय प्रत्याभूति के साथ अथवा उसके बिना ही अभिकोषण सुविधा प्रदान करना, केन्द्रीय बैंक अथवा समिति के निश्चित किये हुऐ कार्य करना, शीर्ष बैंकों के किसी सदस्य को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋणों या साख की प्रत्याभूति देना. जो सीमाओं एवं अनुबन्धों के अन्तर्गत सहभागिता के सिद्धांतों के आधार पर सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना तथा किसी कार्य को संचालन करने हेतु सुविधाऐं प्रदान क़िया जाना आदि।

गत् साढ़े तीन दशकों के दौरान भारत में कुल क्षैत्रीय उत्पादों के संरचनात्मक संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। ग्रामीण जनता वर्तमान में 70 प्रतिशत के लगभग अभी भी कृषि पर आश्रित

है। ग्रामीण बैंक के रूप में सहाकरी बैंक ने कई महत्वपूर्ण कार्य किऐ है, जिससे गांवों के विकास में तीव्र गति आई है। सहकारी बैंकों ने ग्रामीण ..वास योजना के तहत ग्रामों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सहकारी बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य कृषकों को उपज के बंधक पर ऋण प्रदान करना है, जिसमें कृषकों को फसलों की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे :– आग द्वारा या बाढ़ द्वारा फसल नष्ट होने पर कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं सुधार के लिये ग्रामीण स्तर पर कृषकों, मजदूरों आदि की बचत भावना में प्रोत्साहित किया जाता है। सहकारी बैंकों ने ग्रामीण बैंक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षैत्रों में खाद्य एवं विद्युत उपलब्ध कराने के लिये गौबर, गैस, संयंत्र से बढ़कर कोई विकल्प नही है। इसलिये सहकारी बैंकों द्वारा योजना को सक्षमतापूर्वक कियान्वित करने एवं ग्रामो को इसका अधिकतम लाभ पहुंचानें के लिये इस महत्वाकांक्षी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इसके लिये हितग्राहियों को उचित अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

सहकारी बैंक द्वारा आर्थिक सुधारों की प्रकिया के अंश के रूप में विगत् 03 वर्षो में जुलाई वर्ष 1991 से वर्ष 1994 तक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुऐ है। इन सुधारों में गम्भीर राजकोषीय और भुगतान संतुलन में आय असंतुलन को ठीक करने के लिये स्थिरीकरण की नीतियॉ अपनाई है। उर्ध्वोन्मुखी संवृद्धि हेतु कृषि क्षैत्र सेवा सहायता की उपेक्षा करने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में असुविधा उत्पन्न होगी। इसे दूर करने के लिये ग्रामीण बैंकों का विकास अति आवश्यक है। इसी परिपेक्ष्य में सहकारी बैंकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा भविष्य में भी अनेक संभावनाऐं निरूपित हो सकती है। सहकारी बैं द्वारा ग्रामीण क्षैत्रों में अपने प्रभावों को सुदृढ़ करने एवं अपनी गतिविधियों में तीव्रता लाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। जैसे भारत के भावी विकास और गरीबी को कम करने के लिये सहकारिता, बैंक के कार्यो में निरन्तर और तीव्र गति से सुधार की आवश्यकता उल्लेखनीय हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी 73 प्रतिशत लोग गरीब है। ग्रामीण क्षैत्रों की आय तथा कृषि उत्पादन दोनों को बढ़ाना आर्थिक दृष्टि से विकास के लिये आवश्यक है। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व जल संसाधन और सिंचाई उपयोग व्यवस्था है। इस संबंध में सहकारी बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। जिससे ग्रामीण विकास में वृद्धि सम्भव है। वर्तमान समय में ग्रामीण सहकारी साख समितियां, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा रही है। ऋण सहकारी साख समितियों का संचालन वर्ष 1904 से नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2002–2003 में सहकारी साख समितियों ने 33111 करोड़ रूपये के अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये थे। वर्ष 2005–2006 में यह राशि

बढ़कर 37500 करोड़ रूपये हो गई। वर्ष 2014–2015 में यह वृद्धि दर 70 प्रतिशत वृद्धि के साथ दिखाई देती है। ग्राम विकास के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सी योजना आरम्भ की गई, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वह पूर्ण विकास करने में सफल नही हो सकी। परन्तु ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण विकास के लिये सहकारी बैंकों की भूमिका एक आम स्थान रखती है क्यों कि सहकारिता एक ऐसा तंत्र है जो ग्रामीण विकास सम्भव बनाता है। सहकारी बैंकों के द्वारा सस्ते मूल्यों पर ग्रामीण कृषकों को हल, बैल, खाद, बीज, उर्वरक, विद्युत मोटर, पम्प और अनाज व कपड़ा आदि अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये साख सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती है। अतः सहकारिता ही एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से ग्रामीण समस्याओं का निराकरण करके उनका तीव्र विकास किया जा सकता है।

सफलता हेतु सुझाव :–

तमाम आलोचनाओं एवं कमियों के उपरान्त यह स्वीकार करना होगा कि, ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन बैंकों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनसे ग्रामीण क्षैत्र के निम्न आय वर्ग के लोगों को वास्तव में कितना लाभ पहुंचता है। अतः सहकारी बैंकों के उपयुक्त मूल्यांकन के संबंध में यह आवश्यक है कि, इनको सफल बनाने के लिये सभी प्रयास किये जायें। इस दृष्टि से कुछ सुझाव इस प्रकार है।

1. ऋण प्रणाली को सरल बनाया जावें
2. स्वीकृत ऋणों के प्रयोग पर निरीक्षण व्यवस्था अपनाई जायें जिससे की ऋण उसी कार्य में लगें जिसके लिये लिया गया है।
3. ऋणों की सुनिश्चित वापसी के लिये जरूरी है, की ऋण केवल उत्पादन कार्यो के लिये दिये जावें।
4. सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यापारिक बैंक इन तीनों के कार्यो में समन्वय होना चाहिये।
5. सहकारी बैंकों की शाखाऐं ऐसे स्थानों पर स्थापित की जावें जहा छोटे कृषकों एवं दस्तकारों की अधिकता हो, जिससे उनको लाभ मिल सकें।

इस प्रकार सहकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एक मुखिया के रूप में भूमिका अदा कर सकता है। उसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तुलसीदास जी के इस दोहे को चरितार्थ करना होगा।

मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक।
पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।।

मुखिया सहकारी बैंक को बनना होगा और अंग होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जनता।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Generalization of Simple Singular AP-injective Modules

Mrs. Sneha Joshi
Assoc. Prof.,Maths,Malla Reddy college of Engg for Women Hyderabad
Ms. ShubhankaTiwari
Asst. Prof.,Maths, Nachiketa College, Jabalpur
Dr. M.R.Aloney
Department of Mathematics TIT Bhopal
R.S. Wadbude
Department of Mathematics.
Mahatma Fule Arts, Commerce and Sitaramji Chaudhari Science Mahavidyalaya, Warud.
Amravati, 444906 [M.S.] INDIA.

Abstract: Let R be a ring and M a right R-Module, $S = End_R(M)$.The module M is called Almost Generalized Principally injective (AGP-injective) if, for any $0 \neq a \in R$, there exists a positive integer $n = n(a)$ and an S-submodule X_{a^n} of M such that $a^n \neq 0$ and $l_m.r_R(a^n) = Ma^n + X_{a^n}$ as left S-modules. A ring R is called right AGP-injective if R_R is an AGP-injective. In this paper we defined some parallel results which are proved by Zhao. Yu-e. It is also proved that a local ring R is von-Neumann regular if and only if every right R-module is AGP– injective if and only if R is strongly singular.

Key words: AP-injective, von-Neumann regular ring, weak continuous ring, strong regular ring, nilpotent element, Regular, idempotent, Reduce, Zl ring.

Introduction:

Throughout this paper R is an associative ring with unity and all modules are unitary R-modules. As usual $J(R)$, $Z_r(R)$ for Jacobson radical and right singular ideal resp. let M be a right R-Module with $S = End_R(M)$, $X \leq M, A \leq S, B \leq R$ denote the submodule.

Then $l_s(X) = \{s \in S : sx = 0, \forall\ x \in X\}$,
$r_M(A) = \{m \in M : am = 0, \forall\ a \in A\}$
$l_M(B) = \{m \in M : mb = 0, \forall b \in B\}$

If $\{a\} \subseteq R$, $r_M(a), l_M(a)$ denote the right and left annihilator of a, respectively.

A right R-module M is called GP-injective if for any $0 \neq a \in R$, there exists $n \geq 1$ such that $a^n \neq 0$ and $l_M r_R(a^n) = M_{a^n}$. Many authors investigate some properties of ring whose simple right R-module is GP-injective. A right R module M is AGP-injective if for any $a \in J(R)$, there exists an S- submodule X_a of M such that $l_M r_R(a) = M_a \oplus X_a$. A ring R is called right AGP-injective module if R_R is an AGP-injective module. AGP-injective ring need not be right GP-injective. APS-injective rings are the proper generalization of PS-injective rings and AP-injective rings. There are many similarities between AP-injective rings and APS-injective rings.

Definition:

Let M be a right R-module, $S = End_R(M)$. The module M is called almost generalized principally small injective module in short (AGP-S-injective) [11] if for any $a \in J(R)$, there exists $n \geq 0$ and left sub module X_{a^n} of M such that $l_M r_R(a^n) = M_{a^n} \oplus X_{a^n}$ as left S-modules. If R_R is an AGP-S-injective module, then we call R is a right AGP-S-injective ring.

Lemma:1.1 Let M be a right R-module with $S = End_R(M)$. If $l_M r_R(a^n) = M_{a^n} \oplus X_{a^n}$, where X_{a^n} is a left S-submodule of M_R. The map $\phi: a^nR \to M$ is a right R-homomorphism, then $f(a^n) = ma^n + x\ \forall m \in M, x \in X_{a^n}$

Proof: Since $\phi(a^n).r_R(a^n) = \phi[a^n r_R(a^n)] = \phi[0] = 0$. Therefore $r_R(a^n) \subseteq \phi\, r_R(f(a^n))$. Thus $l_M r_R(\phi(a^n)) \subseteq l_M r_R(a^n) = M_{a^n} \oplus X_{a^n}$ and $\phi(a^n) \in l_M r_R(a^n) \Rightarrow f(a^n) = M_{a^n} \oplus X_{a^n}$ $= ma^n + x \ \forall m \in M_R,\ x \in X_{a^n}$.

Lemma:1.2. Let M be an right R-module with $S = End_R(M)$. If $f(a^n) = ma^n + x \ \forall m \in M$, $x \in X_{a^n}$ as left S-submodule. Then $l_M r_R(\phi(a^n)) = M_{a^n} \oplus X_{a^n}$ Where

$$X_{a^n} = \{\phi \in \mathrm{Hom}_R(a^n R, M) : \phi(a^n) \in X_{a^n}\}. \ //$$

Recall that a ring R is called quasi-duo [10] if every maximal right ideal of R is two sided ideal. A ring R is called MELT, if every essential right (left) ideal of R is two sided ideal. A ring R Is called right weakly continuous if $J(R) = Z_r(R)$, $R/J(R)$ is regular and idempotent can be lifted modulo J(R). A Ring R is called weakly regular if $I^2 = I$ for each right (left) ideal I of R, equivalently for every $a \in R$, $a \in RaRa$ ($a \in aRaR$). R is weakly regular if it is both left and right weakly regular.

Theorem:1.1. Let R be a quasi-duo, then the following statements are equivalent:

1) R is von-Neumann regular.

2) R is right weakly continuous ring whose simple singular right R- modules are GAP-S-injective.

Proof: (1) (2)

Since R is von-Neumann regular, then every right R module is GAP-S-injective.

(2) (1) suppose that $Z_r(R)$ is not reduced ($Z_r(R) \neq 0$). Then there exists non- zero $a \in Z_r(R)$ such that $a^2 = 0$. Therefore $Z_r(R) + r(a) = R$. Let $Z_r(R) + r(a) \neq R$ there exists a maximal essential right ideal M containing $Z_r(R) + r(a)$. Thus $\frac{R}{M}$ is AGP-S-injective, then $l_{R/M} r_R(a^n) = (R/M)a^n \oplus X_{a^n}$, $X_{a^n} \leq R/M$. The map $f : a^n R \to R/M$ defined

by $f(a^n r) = r + M$. By above lemma $1 + M = f(a^n r) = ta^n + M + x, t \in R, x \in X_{a^n}$, $1 - ta^n + M = x \in \frac{R}{M} \cap X_{a^n} = 0$, since R is a semi prime ring, so $1 - ta^n \in M, ta^n \in M$. Hence $1 \in M$, which is contradiction. Thus $Z_r(R) + r(a) = R$.

Thus we can write $1 = c + d$ for some $c \in Z_r(R)$ and $d \in r(a^n)$. Thus $a^n = ca^n$ and so $(1-c)a^n = 0$. since $c \in Z_r(R) = J(R)$, $1 - c$ is invertible. Thus $a^n = 0$, which is contradiction. Therefore $Z_r(R)$ is reduced and so $Z_r(R) = 0$. //

Theorem:1.2. If every simple right R-module is GAP-S-injective, Then R is a right weakly regular ring.

Proof: For every $0 \neq a^n \in R$ we claim that $Ra^n R + r(a^n) = R$. Suppose that $b^n \in R$ such that $Rb^n R + r(b^n) \neq R$. and let M be a maximal right ideal containing $Rb^n R + r(a^n)$. Thus R/M is AGP-S-injective, the $l_{R/M} r_R(b^n) = (R/M)b^n \oplus X_b$, $X_{b^n} \leq R/M$. Let $f : b^n R \to R/M$ defined by $f(b^n r) = r + M$. If $b^n r_1 = b^n r_2 \Rightarrow b^n (r_1 - r_2) = 0 \Rightarrow (r_1 - r_2) \in r(b^n) \subset M$. Hence $r_1 + M = r_2 + M$. So f is well defined. Then $1 + m = f(b^n) = tb^n + M + x, t \in R, x \in X_{a^n}$. $1 - tb^n + M = x \in \frac{R}{M} \cap X_{b^n} = 0, 1 - tb^n \in M$, $tb^n \in M$ and hence $1 \in M$, which is contradiction. Therefore $Ra^n R + r(a^n) = R$.//

Recall that R is a ZI ring if for $a, b \in R, ab = 0 \Rightarrow aRb = 0$. A ring R is called idempotent reflexive if $a\mathrm{Re} = 0 \Rightarrow eRa = 0$ for $a, e = e^2 \in R$. [ ]. A Ring R is called local ring if it has one maximal ideal. A ring R is local ring if and only if the set of all non-invertible element of R is an ideal of R. If S is local, then $J(S) = \{s \in S : \ker s \neq 0\}$

Corollary:1.1. Let R be a ZI ring. If every simple right R-module is AGP-S-injective, then R is weak regular.

Proof: [11]

Theorem:1.3. Let R be an idempotent reflexive ring. If every simple singular right R-module is GAP-S-injective, then R is right weakly regular.

Proof:[11]

Recall that a ring R is called strongly regular if for every $a \in R$, there exists $b \in B$ such that $a = a^2 b$; R is called reduced if it has no nonzero nilpotent elements. Clearly a ring R is reduced if and only if $r(a^k) = r(a)$ for any $a \in R$. A reduced ring R is AGP-injective if and only if it is AGP-S-injective.

Theorem:1.4. If R is right quasi-duo [MELT], then the following statements are equivalents:

(1) Every right R-module is AGP-S-injective.

(2) Every cyclic right R-module is AGP-S-injective.

(3) Every simple right R-module is AGP-S-injective.

(4) R is strongly regular ring.

(5) R is van-Neumann regular ring.

(6) R is a right weakly regular ring.

(7) R is local ring.

Proof: These are clear (1) (2) (3) and (4) (5) (1)

(4)⇔(6) For every $0 \neq a'' \in R$ we claim that $a''R + r(a'') = R$. Let $a''R + r(a'') \neq R$, M be a maximal right ideal containing $a''R + r(a'')$. Since R/M is simple AGP-S-injective. Thus R/M is AGP-injective, the $l_{R/M} r_R(a'') = (R/M)a'' \oplus X_a$, $X_{a''} \leq R/M$. Let $f : a''R \to R/M$ defined by $f(a''r) = r + M$. If $a''r_1 = a''r_2 \Rightarrow a''(r_1 - r_2) = 0 \Rightarrow (r_1 - r_2) \in r(a'') \subset M$. Hence $r_1 + M = r_2 + M$. So f is well defined. Then $1 + m \Rightarrow f(a'') = ta'' + M + x, t \in R, x \in X_{a''}$. $1 - ta'' + M = x \in \frac{R}{M} \cap X_{a''} = 0, 1 - ta'' \in M$, $ta'' \in M$ and hence $1 \in M$, which is contradiction. Therefore $Ra''R + r(a'') = R$. R is strongly regular.

(6) (7) last part theorem 1.1. //

Lemma:1.3. If R is a ring whose every simple singular right R-module is AGP-S-injective, then $J(R)\bigcap Z(R)$ contains no nonzero nilpotent elements.

Proof: Consider $b\in J(R)\bigcap Z(R)$ with $b^2=0$, then $r(b^n)+Rb^n R$ is an essential right ideal of R. We claim that $Ra^nR+r(a^n)=R$. Suppose that $b^n\in R$ such that $Rb^nR+r(b^n)\neq R$. and let M be a maximal essential right ideal containing $Rb^nR+r(a^n)$. By Assumption R/M is AGP-S-injective, thus $l_{R/M}r_R(b^n)=(R/M)b^n\oplus X_{b^n}$, $X_{b^n}\leq R/M$. Let $f:b^nR\to R/M$ defined by $f(b^nr)=r+M$. If $b^nr_1=b^nr_2\Rightarrow b^n(r_1-r_2)=0\Rightarrow(r_1-r_2)\in r(b^n)\subset M$. Hence $r_1+M=r_2+M$. So f is well defined. Then $1+M=f(b^n)=tb^n+M+x, t\in R, x\in X_{a^n}$. $1-tb^n+M=x\in\frac{R}{M}\bigcap X_{b^n}=0, 1-tb^n\in M$, $tb^n\in M$ and hence $1\in M$, which is contradiction. Therefore $Ra^nR+r(a^n)=R$. Hence $b=bd$ for some $d\in RbR\subseteq J(R)$. This implies $b=0$, this is contradiction. //

Theorem:1.5. If R is a ring whose every simple singular right R-module is AGP-injective, then $J(R)\bigcap Z(R)=0$.

Proof: Consider $b\in J(R)\bigcap Z(R)$ with $b^2=0$, then $r(b^n)+Rb^nR$ is an essential right ideal of R. We claim that $Ra^nR+r(a^n)=R$. Suppose that $b^n\in R$ such that $Rb^nR+r(b^n)\neq R$. and let M be a maximal essential right ideal containing $Rb^nR+r(a^n)$. By Assumption R/M is AGP-S-injective, thus $l_{R/M}r_R(b^n)=(R/M)b^n\oplus X_{b^n}$, $X_{b^n}\leq R/M$. Let $f:b^nR\to R/M$ defined by $f(b^nr)=r+M$. If $b^nr_1=b^nr_2\Rightarrow b^n(r_1-r_2)=0\Rightarrow(r_1-r_2)\in r(b^n)\subset M$. Hence $r_1+M=r_2+M$. So f is well defined. Then $1+M=f(b^n)=tb^n+M+x, t\in R, x\in X_{a^n}$. $1-tb^n+M=x\in\frac{R}{M}\bigcap X_{b^n}=0, 1-tb^n\in M$, $tb^n\in M$ and hence $1\in M$, which is contradiction. Therefore $Ra^nR+r(a^n)=R$. Hence $b=bd$ for some $d\in RbR\subseteq J(R)$. This implies $b=0$, this is contradiction. //

Theorem:1.6. If R is a ring whose every simple singular right R-module is AGP-S-injective, Then J(R contains no nonzero nilpotent elements if and only if $J(R)=0$.

Proof: Assume that $J(R)$ contains nonzero nilpotent elements. For any $b\in(J(R)$. If $L=R$, then $J(R)=0$. If $L\neq R$, then there exists a right ideal K of R such that $L\oplus K$ is an essential right ideal of R. We claim that $L\oplus K=R$. Suppose that $L\oplus K\neq R$, There exists a maximal right ideal M of R containing $L\oplus K$. By assumption the simple singular right R-module R/M is AGP-S-injective, thus $l_{R/M}r_R(b^n)=(R/M)b^n\oplus X_b$, $X_{b^n}\leq R/M$. Let $f:b^nR\to R/M$ defined by $f(b^nr)=r+M$. If $b^nr_1=b^nr_2\Rightarrow b^n(r_1-r_2)=0\Rightarrow(r_1-r_2)\in r(b^n)\subset M$. Hence $r_1+M=r_2+M$. So f is well defined. Then $1+M=f(b^n)=tb^n+M+x, t\in R, x\in X_{a^n}$. $1-tb^n+M=x\in\frac{R}{M}\bigcap X_{b^n}=0, 1-tb^n\in M$, $tb^n\in M$ and hence $1\in M$, which is contradiction. This shows that $L\oplus K=R$. Then $b^nR+r(b^n)eR$, $e^2=e\in R$, so $b^n=b^2eb^{n-2}=b^{n-2}a^nb^2$ for some $a^n\in R$, but $b^n\in J(R)$, this implies $b=0$. This gives $J(R)=0$. Converse is clear. //

Acknowledgement: Authors are grateful for the motivation, useful suggestion and helps by the Prof. and head, Dr. R. S. Singh, Dr. H. S. Gour Central University, Sagar,[M.P.] INDIA and Dr M. R. Aloney Asso. Prof. T. I. T. Engg. College Bhopal [M.P.].

References

[1]. F. W. Anderson, K. R. Fuller, Rings and Categories of Modules, Springer-Verlag, New-York, 1992.

[2]. S.Wongwai, Small PQ-Principally injective modules, Int. J. Math. Archive -3(3). 2012 962-967.

[3]. W.K. Nicholson, J.K. Park, M.F. Yousif, Principally quasi injective modules, Comm. Algebra 27(4) (1999)1683-1693.

[4]. Z. Zhu, Pseudo QP-injective modules and generalized pseudo QP-injective module, Int. Electron. J. Algebra 14 (2013) 32-43.

[5]. Yueming Xiang, Almost Principally small injective rings, J. Korean Math. Soc. 48 (2011), 6, pp. 1189-1201.

[6]. S. Baupradist, T. Sitthiwirattham and S. Asawasamrit. On Generalization on pseudo-injectivity, Int. Journal of math. Analysis, Vol. 6, 2012 n0. 12, 555-562.

[7]. Zhao, Yu and Du. Xianneng, On Simpe AGP-injective Modules. Int. Journal of Algebra, Vol. 6, 2012. No. 9, 441-446.

[8]. Huanyin Chen and Miaosen Chen, On Semi-regular Rings. New Zealand Journal of Mathematics Vol. 32, 2003, 11-20.

[9]. S.S. Paye and Y. Zhou, Generalization of principally injective rings, J. Algebra 34, 2006, No. 6, 2157-2165.

[10]. J. L. Chen and Y. Zhou, GP-injective need not be p-injective, Comm, Alg. 33 (2003) No. 7. 2395-2402.

[11]. SANG BOK NAM, A note on simple singular GP-injective Modules, Kangweon-Kyungki Math, 7 (1999) N0. 2 215-218.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

EMERGING DIMENSIONS OF ACCOUNTING IN INDIA

DR. JITENDRA KUMAR*
Advanced Business Studies and Research,
Faculty of Commerce and Management, M.D. University,
G.G.D.S.D.(P.G. & Research)
Centre , Palwal -121102 (Haryana)

ABSTRACT

In this paper emerging issues of accounting education and research in India have been discussed keeping in view the changing economic environment of the Indian business and industry. The environment for accounting education has totally changed and certain new challenges have emerged in this regard. The WTO reforms call for restructuring of the service sector including the accounting services. Therefore accounting education needs to be given due attention in this emerging scenario. The Information technology and the Globalization of Markets are the two other major governing factors impacting various changes in the accounting education. It is also important to mention here that world regions and countries vary in terms of the stage of the development of the accounting education in tune with their economic systems. Hence a great deal of attention needs to be given to customizing the broad educational needs of the accountancy profession keeping in view this factor. Accounting education in India is being imparted as a segment of Commerce stream at the senior secondary level in schools, at undergraduate level in colleges and at Postgraduate level in universities. But the professional status is not accorded to those passing out after

having obtained the accounting education at this level. The universities and colleges basically act as feeding institutions for the professional institutions like ICAI, ICSI and ICWA. Hence there is a dire need for purposeful relationship between the universities and statutory Institutes like ICAI, ICSI and ICWA. These bodies should also take up the challenge of improvement of standard of accounting education, research and professional training of its members. The traditional classification of accounting into Financial Accounting, Management Accounting and Cost Accounting is no longer relevant due to the emergence of computerized Accounting Information system, DSS and other modern day systems meant for managerial decision making. The outmoded model of accounting teaching based on theoretical knowledge and numerical problems needs to be replaced by conceptual knowledge linked with the E- commerce and computer software.

The accountancy research at the doctoral level in India is quite scanty. There is also a lack of interface between the accounting researchers and the business and industry. The industry is not forthcoming in providing support for various research projects and making available the necessary data base for promoting the research activity. Hence in this context the accounting educators and accounting professionals should find out the ways and means of restructuring the accounting education so as to meet the challenges of change in the business and industry.

Introduction

In the liberalised economic scenario in India in particular and all over the world in general, the business and industry is exposed to many challenges like cut-throat competition, technological up gradation, quality and cost consciousness, outsourcing and new combinations of the means of production, etc. As a result of these challenges, the owners of business enterprises have lot of expectations from the accounting professionals and they are expected to be equipped with lot of

*Advanced Business Studies and Research, Faculty of Commerce and Management, M.D. University, G.G.D.S.D.(P.G. & Research) Centre , Palwal -121102 (Haryana)

skill and immense ability to perform accounting and managerial decision making jobs. The accountancy colleges and universities have also started realizing that there is an urgent need

for updating the accountancy curriculum in tune with the present day requirements of business and industry.

Accounting education in certain developed countries has undergone a paradigm shift in tune with the changing global economic environment. The environment of accounting in the various developing economies has also changed and certain new challenges have emerged. Hence the accounting education and profession should not be neglected in this scenario. The Information technology and the Globalization of Markets are the primary factors requiring various changes in the accounting education and research. It is therefore important to mention here that world regions and professions vary in terms of the stage of the development of accounting education and the nature of their economic systems. In this paper the emerging issues of accounting education and research in a newly emerging market economy like India have been discussed. The study is based on the secondary data collected from various government publications, professional institutes, universities and colleges in the country. This paper has been divided into five sections. The first section deals with the introduction including the need for study. The second section covers an overview of accounting education in retrospect and the brief review of literature. The section three covers the position of accounting education in India and U.K. The section four deals with the state of accounting research in India. In section five, various policy implications of study have been discussed.

Accounting Education in Retrospect

Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in terms of money transactions or the events of a financial character and interpretation of the results thereof. The different economic systems have the tremendous influence on the accounting process. Therefore the evolution of accounting is a product of its socio-economic environment. The Special Committee of Research Program of the American Institute of Certified Public Accountants recognized the importance of environment from which the accounting postulates are derived. The Committee stated that accounting postulates necessarily are derived from the economic and political environment and from the modes of thoughts and customs of all segments of the business community. (AICPA, 1979). The different socio-economic envi-

ronments in different countries of world have given birth to different Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) at the national level thus creating barriers for the International harmonization of the accounting principles and standards. Recently the contemporary issues in accounting like social accounting, inflation accounting, environment accounting and human resource accounting have emerged and are getting due recognition in the business world.

The earliest treatise on accounting was given by Luca Pacioli who happens to be the first person to bring out a book on the double entry system of book keeping brought about 500 years back in 1494 in Italy. Like many other countries, the Indian system of accounting is also based on the double entry system of book keeping. (Batra, 1997). The Commerce and business education in India was started in the year 1886 with the establishment of the first commercial school in Madras by the trustees of Pachiappa's Charities. The Indian Government started School of Commerce in Calicut and Presidency College in Calcutta in 1895 and 1903 respectively. At University level, Commerce education had its beginning in 1913 when a College of Commerce and Economics was established in Bombay.

There were few colleges and universities on the eve of independence in 1947 to impart the commerce and business education. Now almost all the Universities in the country have their own Departments of Commerce (Agarwal, 1999). The Professional bodies like The Institute of

Chartered Accountants of India, The Institute of Cost & Works Accountants of India and The

Institute of Company Secretaries of India have much more important role to play in imparting accounting education in India on the professional front.

The accounting system within a country influences the accounting education system.

The accounting education system enforces the principles and practices by evolving an education system for the accountants. In turn, the accounting graduates reinforce that accounting system through training and continuing education in the organizations in which they are employed, professional organisations of which they are members and follow the norms and

ctices of the society of which they are a part (Yunus, 1990b). Holland and Arrington

(1987) examined issues that influence accounting faculty in the US to relocate. Cohen et al (1991) looked at the attitudinal factors affecting the coverage of international accounting courses in the undergraduate accounting curricula in the US. An analysis was conducted from department chairpersons and members of the international section of the American Accounting Association using an attitude model adopted from the psychology literature. Reed and Kratchman (1989) examined the differences in the perceptions of US accounting students and graduates concerning the importance of various job attributes. A similar study was conducted by Carcello et al (1991).Pabst and Talbott (1991) analysed the perceptions of Certified Management Accountants (CMA) in the US regarding the present standard of CMA examinations.

Ferguson and Orpen (1991) looked at the perceptions of universities and college students to working with computers in Australia. Poe and Viator (1990) examined US university administrator's perceptions of the relative importance attached to research, teaching and other services in evaluating accounting faculties. Peel et al (1991) analysed the perceptions of two groups of accounting students in a British university regarding the understanding of accounting concepts. McLanen (1990) examined practicing accountants and accounting academics in New Zealand regarding communication skills needed by accountants. A study by Rehman and Saha(1996) pointed out that that the number of accounting researches in comparison to researches conducted in other allied areas of Commerce or business studies in India is far less.

Overview of Accounting Education in UK and India:

In this section an attempt has been made to explain the broad highlights of the accounting education in U.K and India.

Accounting Education in U.K

The Indian parliamentary and local government system besides the education system, is largely based on the British system, hence it is of great interest to examine the accounting education system in UK. There are four professional institutes providing accounting education for various levels in U K. These are:

1) Association of Book- Keepers

2) The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA)

3) Association of Chartered Accountants (ACA) for auditors, and

4) Association of Cost and Management Accountants (ACMA) for cost accountants

The colleges and many private institutions in U.K. provide the necessary educational inputs to prepare students for various levels of examinations conducted by ACCA with due support of these institutes. The Universities also offer highly specialised courses in accounting at undergraduate and post graduate levels. This is done with the co-operation of ACCA and ACA who exempt these graduates from a number of papers of the examination, which they are supposed to qualify for a particular course. (Grover, 1998).

Accounting Education in India

Accounting education in India is imparted at senior secondary level in schools, at undergraduate level in colleges and at Master level in universities as a segment of Commerce stream. But professional status is not being accorded to those passing out after obtaining the accounting education at this level. The colleges and universities act as feeding institutions for the professional institutes like ICWA, ICSI, ICAI and ICFAI. The professional accounting students who complete their final examination of ICAI and ICWA are only accorded the status of a professional accountant. The quality of professionals produced by these institutions is quite good but the number of students passing out is not good enough to meet the increasing requirements of Indian business and Industry. However the middle and lower level requirements of accounting professionals in the commerce and Industry are being met by various universities and colleges. Keeping in view the emerging challenges, there is a growing need for restructuring the accounting education and research to meet the present day needs of business in the liberalized economic environment. In the college cadre institutions in India, however B.Com. is a specialized program which provides commerce education at under-graduate level, whereas M

Com education at the .post graduate level is meant primarily for a teaching career. It is being felt that the present accounting education system in India has failed to keep pace with the requirements of the fast changing business world and to forge necessary linkages with the professional bodies in the field. The most Commerce graduates go in for professional quali-

fication in accounting, financial management, company secretary, taxation and law. etc., and that those who do not, they usually seek accounting and finance jobs in business, industry and in the Public sector. The many universities in India have gone in for specialization in Accounting and Finance. At the post graduate level, M.Com. Program with specialisation in

Accounting, Financial Management, Banking, Taxation and International Finance etc is largely being offered by various universities

A glance at the accounting education in India indicates that that the accounting education has suffered from ad-hocism, remained fragmented, lacks co-ordination between Industry and accountancy academia, lacks practical applicability and is in the dire need for updating its course curriculum.

The problems of accounting education discussed as above also affect the accounting research. Most of the researches in accounting are treated as applied in nature. However, there is hardly any practical application of the results of these researches. Hence the concerted efforts are required to streamline the accounting education and research system in the country.

Course Curriculum and Teaching Aids

The commerce colleges in India have been imparting commerce education over the past several years with very little changes and modifications in their course curriculum. The challenges before commerce education cannot be overcome at once. In order to know at first hand the state of commerce and accounting education in India, an overview of course curriculum of B Com and M Com program of various universities and the professional accounting programs of ICAI, ICWA, ICSI and ICFAI besides the fellow program of the Indian Institute of Management has been given in this article as an Annexure I. The information provided in this annexure indicates that in the B Com and M Com programs, accountancy is being taught as one single course in the different terms along with other courses like economics, management, law and taxation. It is only in the case of professional institutes that the accountancy specialization is being offered in the various courses of study at the professional level.

Hence it is of great importance to bring the changes and restructure the accounting education course curriculum as per the emerging needs of the Industry and Commerce. At the same time, it is also significant to study the problems and the actual needs of business and industry on the basis of research in the accounting and commerce field. It is also desirable to forge linkages between the academia and industry in order to strengthen the accounting education in the country. There may be some barriers in implementing these changes but it would be possible to overcome these barriers with the concerted efforts of both industry and accounting academia.

As far as teaching aids and methodology is concerned, till date accounting education has been imparted through class room lectures and the numerical problems. To make the teaching of accounting more effective, it is better if the latest teaching aids like projectors, case studies, project and market surveys, role playing, group discussion and audio-video techniques are followed for teaching of accounting in various colleges and universities in the country.

State of Accounting Research in India

According to Tricker, R.I., (1979) accounting research is "the search for answer to questions that widen and deepen existing knowledge in the subject". Research is however a systematic investigation carried out in order to expand the frontiers of human knowledge. Accounting research may also be viewed with a similar analogy and can be stated as an organised activity the purpose of which is to expand the horizons of knowledge in accounting theory and practice. The purpose of accounting is to generate and communicate useful information about the events of business enterprises. Accounting research however should serve a very useful purpose in determining that how accounting principles should be adjusted to suit the changing business environment . An attempt has, been made here to give an overview of the accounting research in India.

In some universities and the Institutes of Management there is a course work system before the dissertation is submitted by the scholar. The emphasis of course work is on developing and sharpening the skills of a research scholar through business statistics, econometrics, and research methodology and core courses in the field of research. But in large number of

universities there is a part time system of research, since for full time research no scholarships are made available to the researchers. The fellow program in Management offered by IIM's is equivalent to a Ph.D program and is one of the highly structured programs which prepare students for teaching and research careers. An overview of the fellow program in management (with the Accounting and Finance stream) has been given in the annexure I of this paper in order to understand the broad curriculum offered by these apex researches and teaching institutions in India.

A study by Rehman and Saha (1996) pointed out that the number of accounting researches in comparison to the research conducted in various allied areas of Commerce and management is quite less. This indicated that hardly 20% of the total Ph.D. degrees awarded by the Indian universities in commerce or business studies related to the field of accounting and the rest of 80% were from various allied areas of Commerce.

The number of researches in the field of working capital management have been conducted but the core areas of accounting theory and GAAP still remain unexplored (Gowda,1996).The researches on accounting conducted in India however covered the following areas viz., Cash Flow Accounting, Financial Reporting, Harmonisation of Accounting Standards , Inflation accounting, Social Accounting, Social Audit, Value added Accounting and financial statements etc. An illustrative list of research studies conducted in accounting field in India has been given in the annexure II.

The accounting researches at the doctoral level in India are still scanty on the whole. One of the reasons of this state of affair is the lack of interface between the accounting academia and industry, since the Industry is not forthcoming in supporting various research projects and other such research activities in the accounting area. On the research front it can be concluded that the doctoral research works in accounting field has covered very few areas whereas large number of emerging issues in accounting have remained unexplored. Hence efforts need to be made also on this front to improve the picture in this regard.

The importance of accounting has been well recognised in the conduct of economic activities globally. It also includes the advanced stage of internationalisation of the accountancy profession. With the fall of the global accounting firm, Arthur Anderson on Enron issue, the

credibility of the accounting professionals is also at the stake. Hence accounting educators, researchers and the professionals must find out the ways and means to meet this challenge. Contrary to the above, some researches in this regard point out that an effort should be made by the developing countries to develop the accounting education programs applicable to the country's unique environment after the accounting academics have been recruited carefully from an another developing country with the similar environment and the course curriculum has been adjusted accordingly. (Pok, Febian and Patrick Hutchinson. 1995) It is suggested that the following steps should be taken to improve the state of accounting research and profession in India.

(a) Efforts should be made to create a conducive environment in which the interaction between the universities/academic institutions, professional institutes and industries could be possible.

(b) There should be separate Accounting departments in the universities and colleges to promote the accounting research.

(c) Accounting research should be made much more purposeful so as to meet the requirements of various professional institutions.

(d) The teaching methodologies in accounting at the university and Institute level should be changed in order to strengthen the computational and conceptual skills of the scholars in the field.

(e) The case study approach should be given due consideration so as to develop a problem solving approach among the scholars of accountancy.

(f) The course curriculum of the colleges, universities and the professional institutes imparting accounting education should be restructured so as to enable the accounting students to expose themselves to the basics of research methodology and contemporary issues in accounting.

Implications of Study

The domain of accounting is though back seated in economics, statistics and law but of late it has emerged as a separate field of study. With the information technology revolution, it requires integration with computers and communication technology. The in-depth knowl-

edge of financial services is also becoming important for the accounting professionals. The accounting specialists for the International market must gear themselves to gain an in-depth knowledge of econometrics, research methodology; International economics, International trade, International finance, and e-Commerce so as to sub serve the accounting profession more effectively. The accountants are also expected to play an effective role in the formulation of economic Policies, to forecast the changes and to help in establishing a proper system of financial and information technology. Hence it is utmost desirable that the accounting researchers and the professionals must gear themselves up to meet the challenges of change and come up to the expectations of the society.

The conventional classification of accounting into Financial Accounting, Management Accounting and Cost Accounting is no more relevant due to the emergence of computerized Accounting Information system, decision support system and other modern day systems meant for managerial decision making (Khandelwal, 2000).The outmoded model of Accounting teaching based on theoretical knowledge and numerical problems should be replaced by conceptual knowledge linked with the computer software. The accounting education therefore requires basic change in approach as to accounting teaching, training, research and practice.

There is a need for purposeful relationship between universities and statutory professional Institutes like ICAI, ICSI and ICWA.These bodies should take the challenge of improvement of standard of accounting education and research and ensuring a code of conduct for its members so as to make accounting education more useful to meet the requirement of fast changing business world in this region.

The funding of Accounting Research should be a shared responsibility of the Professional Institutions, State Government, Industry and the University Grants Commission etc. The leading accounting firms and business houses should be more generous in providing funds for the chairs in Accounting at select temples of learning. The emerging challenge lies in globalization of our financial markets. The development of global accounting standards is another emerging issue in the present day accounting world. There is also an urgent need for the global curriculum in Accounting for various schools of accounting and commerce in the

country so as to pave the way for true globalization and liberalization of the economy. The problems of accounting education also affect the accounting research. Most of the researches in Accounting are applied in nature. However, there is hardly any practical application of the results of these researches. Hence the concerted efforts are required on the part of all concerned to streamline the accounting education and research system in the various emerging market economies with particular reference to India so as to bring a paradigm shift in the growth of business and industry in the region.

References:

Agarwal, N.C (1999), Commerce Education-Vision 21st Century, The Indian Journal of Commerce, Vol.52.No.4

AICPA (1979), Special Committee on Research Program, "Report to Council" quoted from: Maloo, M.C., "Accounting change Process- A Comparative Analysis between the United States and India", December p. 311.

Batra, Gurdip Singh (1997), Developments in Accounting Theory since Pacioli Era, ed. Modern Trends in Accounting Research, Deep and Deep Publications, New Delhi

Careello, V. J. et at (1991), A Public Accounting Career: The Gap between Students' Expectations and Accounting Staff Experiences, Accounting Horizons, September, pp. 1-11.

Cohen, J; R. et al (1991), An Empirical Investigation of Attitudinal Factors Affecting Educational Course Coverage of International topics, The International Journal of Accounting, pp. 286-301.

Ferguson, C. and Orpen, C. (1991), The Attitude of Accounting Students to Working with Computers: A Preliminary Study,' Accounting and Finance, November, pp. 113-119.

Grover, R. K (1998) Accounting Education: Need for Professional Approach by Universities, Indian Journal of Commerce, Vol.51, No.1

Gowda, J Made (1996), Doctoral Research in Commerce and Management with special reference to Accounting Research-An analysis, Journal of Accounting and Finance, Vol.X No.2

Holland, G. R. and Arrington C. E. (1987), Issues Influencing the Decision of Accounting

Faculty to Relocate, Issues in Accounting Education, Spring

Khandelwal, N.M (2000), Accounting Education for New Millennium, Indian journal of Accounting, Vol.XXXI

McLanen, C. M. (1990), The Place of Communication Skills in the Training of Accountants in Zealand, Accounting and Finance, May, pp. 82-94.

Pabst, F. D. and Talbott C. J. (1991), The CMA: Past, Present and Future, Accounting Horizons, September, pp. 31-37.

Peel, J. M. et al (1991), The Determinant of Students Financial Awareness

Some British Evidence, British Accounting Review, March, pp. 23-48.

Poe, C. D. and Viator, E. R. (1990), MCSS Accounting Accreditation and Administrators' Attitudes Towards Criteria for the Evaluation of Faculty,

Issues in Accounting Education, spring, pp. 59-77.

Pok,Fabian & Patrick Hutchinson(1995), Accounting Education in Developing countries: Perceptions of Interested Parties and Cultural Influences-A Case Study of Papua New Guinea, Indian Journal of Accounting,Vol. XXVI

Reed, A. S.and Kratchman, H.S.(1989)A Longitudinal and Cross Sectional Study Students Perceptions of the Importance of Job attributes, Journal of Accounting Education, pp. 171-193.

Rehman, A.R.M and Saha, A.B (2006), Accounting Research in Changing Environment and the Trend of Accounting Research in India-with special reference to North East India, Journal of Accounting and Finance, Vol.X, No.1

Richardson, P., Parker, R.S., and Udell, G.G (1992), "Does Research Enhance or Inhibit Teaching? An Exploratory Study", Journal of Education for business, Heldref Publications, Washington D.C. pp. 79-80.

Tricker, R.I., "Research in Accounting-Purpose, Process and Potential", Accounting and Business Research, The Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), London, Winter 1979, p.7.

Yunus, H. (2012-13), Provision of Continuing Professional Education in Accounting with the case in Indonesia, Indonesian Institute of Accountants.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Commodity trading in India: Continuing struggle

Smriti Tiwari Semwal
Assistant Professor
Department of Management Studies
Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal

Abstract

Commodities form an important area of trading in financial markets of the world. Commodity futures trading has been a contentious practice as policy makers have on most occasions cited concerns over excessive speculation in commodity trading leading to escalation in prices (Ghosh, 2009). This concern has been even more strengthened after the 2008 global financial crisis which also led to inflationary pressure on energy and food. India too isn't untouched from such global concern about this market. The aim of this paper is to lay emphasis on the still nascent commodity market in India.

Keywords

Commodity trading, commodity futures, Indian commodity market, Forward Markets Commission

An unstable history

That commodity trading is an old practice in India can be judged from the fact that the first organized futures market for cotton was set up in the year 1875. India could have had a vibrant commodity futures market but in 1935, in view of the rising difficulty in feeding the Indian population, the Defense of India Act came into effect, which gave the government

the right to control food production in the country and restrict trading on primary market produce. This restriction on trading of food commodities in India continued while commodity markets flourished across the world, until in 1953, war, natural calamities and the resulting shortage of trade-able commodities led to the discontinuation of the market. The Forward Markets Commission, setup as the regulator of commodity markets, lost its sheen over concern of speculation in the markets leading to increase in price instability. The economic liberalization of early 1990s which led to the development of the stock markets also brought into focus the importance of development of commodity markets. On recommendations of a study by World Bank and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and Kabra committee, the government lifted the three decades ban on trading of commodities in India in 2003. Although Kabra Committee recommendation did not include allowing futures trading in a few products like wheat, pulses, non-basmati rice, sugar, coffee and tea, this was not accepted by the government.

The sluggish Indian commodity market

Commodity trading is governed by the provisions of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. The regulatory body was Forward Markets Commission (FMC) until September 2015, when the FMC was merged with the Securities and Exchange Board of India, SEBI Today, India has nineteen commodity exchanges including six national commodity exchanges that account for more than 90% of trading, namely, Multi Commodity Exchange (MCX), National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX), National Multi-Commodity Exchange (NMCE) and Indian Commodity Exchange (ICEX), the ACE Derivatives exchange (ACE)and the Universal commodity exchange (UCX). The MCX is the largest commodity futures exchange in India. It is also the world's largest commodity futures exchange in gold and silver, second largest in natural gas, and third in crude oil on the basis of the total number of contracts traded. 85% of the total trading business of MCX comprises of four commodities, gold, silver, copper and crude oil. The NCDEX and NMCE deal mainly with agricultural and metal commodities.

Table 1: Volume of Trading and Value of Trade during the year 2013-14 in Major Commodities

Volume of Trading - In lakh tonne, Value - In Rs crore

Sr. No	Name of the Commodity	2013-14	
		Volume	Value
A	**Bullion**		
I	Gold	0.09	2513697.33
Ii	Silver	3.94	1795240.49
Total for A		**4.03**	**4308937.82**
B	**Metals other than Bullion**		
I	Aluminum	129.07	137609.82
Ii	Copper	185.83	785562.21
Iii	Lead	326.49	406971.56
Iv	Nickel	22.05	190796.34
V	Steel	1.72	483.71
Vi	Zinc	206.80	231896.17
Vii	Iron	106.42	8040.08
	Total for B	**978.37**	**1761359.89**
C	**Agricultural commodities**		
I	Chana/Gram	525.73	164754.94
Ii	Wheat	10.47	1637.22
Iii	Maize	47.30	6168.26
Iv	Soy Oil	417.69	290044.79
V	Mentha Oil	4.60	41798.11
vi	Guar Seed	45.73	24719.80
vii	Guar Gum	8.09	12237.77
viii	Potato	66.90	4239.66
Ix	Chillies	12.53	7537.48
X	Jeera(Cuminseed)	22.48	28917.50
xi	Cardamom	1.47	11310.62
xii	Pepper	0.42	1600.70
xiii	Rubber	6.43	10514.94
xiv	OtherAgri	2442.21	996920.17
	Total for C	**3612.03**	**1602401.96**

Note: Natural Gas Volumes are not included in the Total Volume.

Source: Forward Markets Commission Annual Report 2013-14

Value in Rs. and the percentage of the Commodity Exchange to the total value traded during 2013-14 (April-March 2014)

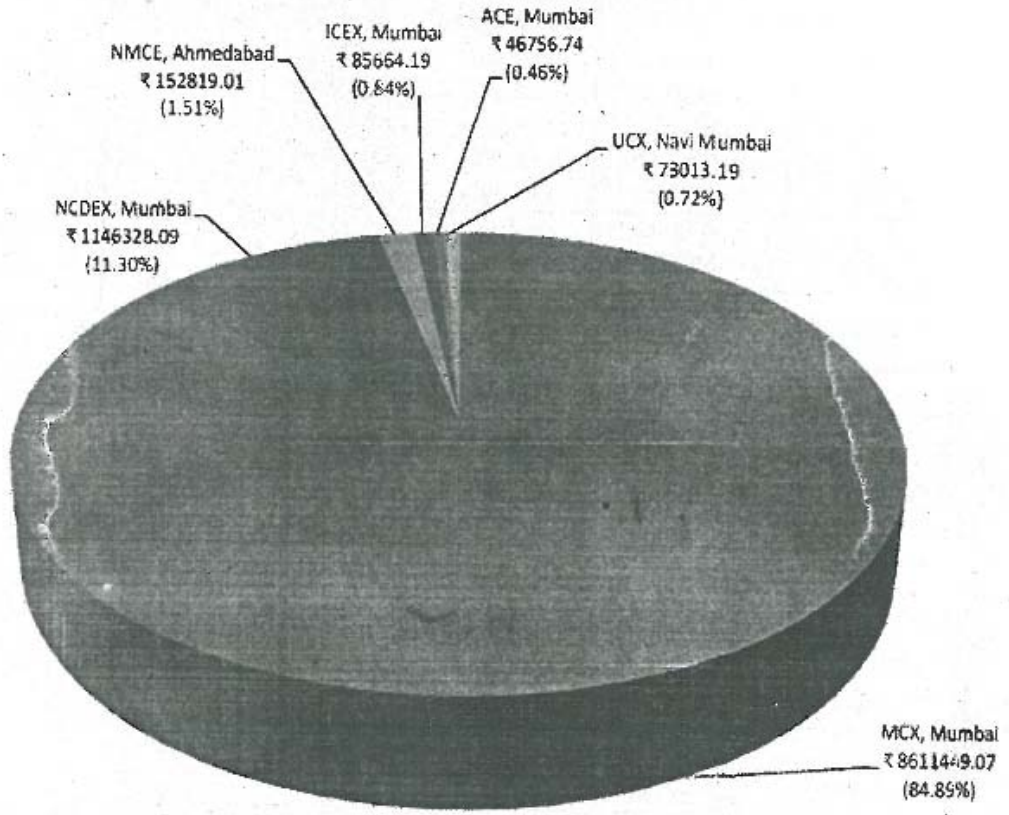

Chart 1

Source: Forward Markets Commission Annual Report 2013-14

Table 2: Details of total volume and value of the commodities traded at MCX during 2013-14

MCX 2013-2014				
S. No	Commodity	Volume – lakh Tonnes	Value-Rs Cr	Share of Value to Total
1	GOLD	0.09	2482438.18	28.83
2	CRUDEOIL	4211.48	1794312.34	20.84
3	SILVER	3.91	1780756.98	20.68
4	COPPER	183.67	776666.28	9.02
5	NATURAL GAS	26082271250	655322.01	7.61
6	LEAD	319.46	398401.56	4.63
7	ZINC	203.76	228653.60	2.66
8	NICKEL	21.62	187172.77	2.17
9	ALUMINIUM	126.53	134964.85	1.57
10	COTTON	52.79	62439.13	0.73
11	OTHER COMMODITIES	182.50	110321.38	1.28
	TOTAL	**5305.81**	**8611449.07**	**100.00**

Note: Natural Gas Volumes are not included in the Total Volume.

Source: Forward Markets Commission Annual Report 2013-14

Table 3: Details of total volume and value of the commodities traded at NCDEX durin 2013-14

NCDEX 2013-2014				
S. No	Commodity	Volume-lakh tonnes	Value in Rs Cr	Share of value to total
1	SOYA_OIL	388.86	269914.56	23.55
2	SOYABEAN	488.29	182336.33	15.91
3	CASTOR_SEED	405.04	161068.66	14.05
4	CHANA	423.87	132966.22	11.60
5	DHANIYA	125.60	95259.02	8.31
6	RAPE_MUSTARD_SEED	239.78	84217.51	7.35
7	COTTONSEED_OILCAKE	328.85	51044.17	4.45
8	KAPAS	73.03	35461.41	3.09
9	TURMERIC	49.31	29606.19	2.58
10	JEERA	22.48	28917.50	2.52
11	OTHER COMMODITIES	200.34	75536.52	6.59
	TOTAL	2745.43	1146328.09	100.00

Note: Natural Gas Volumes are not included in the Total Volume.

Source: Forward Markets Commission Annual Report 2013-14

Table 4: Details of total volume and value of the commodities traded at NMCE during 2013-14

NMCE 2013-14				
S. No	**Commodity**	**Volumelakh tonnes**	**Value in Rs Cr**	**Share of value to total**
1	RAW JUTE	70.33	20248.24	13.25
2	CASTORSEED	48.70	18916.78	12.38
3	RAPE/MUSTARD SEED	53.61	17024.17	11.14
4	CHANA	49.49	15264.09	9.99
5	COFFEE REP BULK	11.35	13807.78	9.04
6	OTHERS	76.75	67557.93	44.21
	TOTAL	**310.23**	**152819.01**	**100.00**

Note: Natural Gas Volumes are not included in the Total Volume.

Source: Forward Markets Commission Annual Report 2013-14

Table 5: Details of total volume and value of the commodities traded at ICEX during 2013-14

ICEX 2013-14				
S. No	**Commodity**	**Volume-lakh tonnes**	**Value in Rs Cr**	**Share of value to total**
1	MUSTARD SEED	40.49	14285.21	16.68
2	NATURAL GAS	49283750	11229.92	13.11
3	CASTOR SEED	23.18	9972.41	11.64
4	IRON ORE 62FINES	106.42	8040.08	9.39
5	SOYA BEAN	19.40	7574.28	8.84
6	SILVER	0.02	6550.87	7.65
7	OTHER COMMODITIES	27.95	28011.43	32.70
	Total	**217.45**	**85664.19**	**100.00**

Note: Natural Gas Volumes are not included in the Total Volume.

Source: Forward Markets Commission Annual Report 2013-14

Table 6: Details of total volume and value of the commodities traded at UCX during 2013-14

UCX 2013-14				
S. No	Commodity	Volume-lakh tonnes	Value in Rs Cr	Share of value to total
1	CHANA	52.35	16515.55	22.62
2	KILO GOLD	0.00	12903.06	17.67
3	RAPE/MUSTARD SEED	32.30	11344.39	15.54
4	SOYA BEAN	23.85	8769.33	12.01
5	TURMERIC	14.33	8651.55	11.85
6	OTHERS	10.25	14829.31	20.31
	Total	**133.07**	**73013.19**	**100.00**

Note: Natural Gas Volumes are not included in the Total Volume.

Source: Forward Markets Commission Annual Report 2013-14

An analysis of the value and volume of commodities traded on the six national commodity exchanges reveals that the MCX trades majorly in metals and crude oil whereas the other five exchanges trade majorly in agricultural produce. However, MCX is the largest commodity exchange in India and accounts for over 80% of the trading. As per the Forward Markets Commission data shown in Table 1, Gold accounts for close to 28% of the volume traded on MCX, Crude oil and Silver account for close to 20% of the volume each. A total of about 60% volume traded on the largest commodity exchange in India comprises of Gold, Silver and Crude Oil. In a nation where Agriculture forms the life line of the majority of population, the scope of trading is huge. But the available data shows that trading on agricultural commodities is still languishing.

Although the restriction on commodity trading in India was lifted in 2003, the concern over speculation in the trading leading to price manipulation has always been present. India has battled with food insufficiency even before the Forward Markets Commission was setup to regulate the trading. The major reason being unstable rainfall patterns and poor agriculture practices. Excessive speculation over prices of agricultural commodities can be a conse-

quence of trading, if government lacks in putting proper checks in place. The potential of commodity trading has been well documented and widely recognized, but this over cautiousness of the government has been holding back a potentially thriving practice from realizing its true gains.

The commodity trading is regulated by the antiquated Forward Contracts (Regulation) Act of 1952. This Act was put in place even before the ban on trading in 1953. Commodities market has changed vastly since then. The market dynamics are now completely different owing to a change in the consumption pattern across the world. International trade is now at a different platform than it was 50 years ago. Such changes call for a reform in the Act that governs the commodity trades in the world's fastest growing economy.

The road ahead

A market's true potential cannot be realized until it has strong regulations in place. The Forward Markets commission, the agency governing the commodity markets in India, has been merged with the Securities and Exchange Board of India, the body regulating the Indian stock markets, in September 2015. The aim of merger was to allow SEBI as a single entity to develop the two markets, the stock markets and the commodity markets, synergistically and in sync with each other. The shifting of control is now expected to bring positive changes in the commodity trading scene in India. Coupled with the regulatory reforms, an increase in investor awareness is also needed about commodity trading to channelize the Indian savings into the commodity market. Crude Oil and Precious metals like Gold, Silver are already being traded in good volumes. What is now required is broadening this trade base and confidently yet cautiously expanding the trade deeper into the agricultural commodities arena as well.

Bibliography :

Department of Economic Affairs, M. o. (2013-14). Forward Markets Commission, Annual Report 2013-14.

Ghosh, N. (2009). Issues and Concerns of Commodity Derivative Markets in India: An Agenda for Research. ResearchGate .

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Education and its impact on learning.

Beena. J. Kurian
Research Scholar (Dep. of Education)
Sri Satya Sai University of Science & Technology Sehore M.P.

1. Introduction

The introductory study of this chapter focuses on what education is. It delineates how the components of education play an important role in learning the societal values. It also deals with various functions which are directly or indirectly responsible for character formation of children. This study will enable us to know that learning is one of the major components of education. The study undertaken highlights how inclusive education can help slow learners to develop their inner potentials.

2. Etimology of Education

Education is the touch stone of the civilization and culture of a country. It is as old as human existence and shall continue to function as long as human race lives. The term education has a number of derivations, it has Latin roots.

a. Educare : To bring up, to raise, to educate.

b. Educare : To lead out, to draw out, to bring forth.

c. Education : To train, act of teaching or training.

The Latin word 'Educare' means to bring up a child or nourish him according to certain aims or ends in view.

'Educere' means educating a child in terms of drawing out what is best in him.

'Education' refers to draw from within, 'E' means to draw from inside and 'duco'means to draw out .

Every individual when born in this world is blessed by innate potentials, talents, knowledge, powers making the potential actual.

2.a. Synonyms of Education: There are few synonyms of education such as

Pedagogy-It is a Greek Word which means 'to lead the boy'. It is a science of instruction or teaching for the purpose of leading the children.

Shikhsha-it is a common term for education . It means 'to discipline', 'to instruct' or 'to teach'.

Vidya-It has been taken from Sanskrit verbal root which means to know. It refers to knowledge.

2.b Ancient Thinkers .

Kautilya says "Education means training for the country and love for the nation".

According to Rig Veda,education has been interpreted as something"which makes a man self-reliant and selfless.

According to Upanishad"Education is that whose end-product is salvation"

According to Yajnavalya"Education is that which makes a man of good character and useful to the world"

3.Definitions of Education

A. Education as a process of drawing out the Innate Powers.

1."Education means the bringing out of the ideas of universal validity which are latent in the mind of every man".

-Socrates.

2." Education is the manifestation of perfection already reached in man". Vivekanand.

B. Education as a process of development of Individuality.

1."Education means to enable child to find out ultimate truth making truth its own and giving expression to it".

-R.N.Tagore.

2."Education is the development in the individual of all perfection of which he is capable"

-Kant.

C. Education as a process of producing change in the Group.

1."Education is the consciously controlled process whereby changes in behavior are produced in the person and through the person within the group"

-Brown

2."The purpose of education is to develop in each individual the knowledge, interests, ideals, habits and powers whereby he will find his place and use that place to shape both himself and society towards nobler ends".

4. Functions of Education.

The functions of education means "what education does". According to Daniel Webster "The function of education is to discipline feelings, to control emotions, to stimulate motivations and to develop religious sentiments". John Dewey asserts that the function of education is to help the growing of ahelpless young animal into a happy, moral and effective human being"

a. Progressive Development of Innate Powers-The first aim of education is to develop inborn capacities. Psychologically speaking ,each child is endowed with inherent tendencies as love, affection, curiosity, reasoning, imagination and self respect etc.

b. All round development of personality-Education brings total development within the individual's physical, mental, emotional ,social and spiritual dimension. This helps an individual to self realization.

c. Control, redirection and sublimation of Instincts-Every human being is born with some basic instinct which direct and mould individual's activities Human being is endowed with the powers of thinking , reasoning, discrimination, judgement and memory. With the help of these mental powers, socially desirable change in his behavior may be brought about by redirecting and sublimating the basic instinct.

d. Character Formation and Moral Development- Education functions in developing moral qualities in the individual and build his/er character. Proper moulding, modification and sublimation of these instinct promotes and develops the character of the individual.

e. Inculcation of Social Feelings-Education instills the social feeling within the individual. The spirit of social service is developed within the individual. Other social qualities

Discipline-Modern concept of self discipline leads to natural obedience self .Old concept of discipline emphasized the use of rod and punishments to enforce obedience and discipline in children .

Teacher - Old education put the teacher at the top of the educational process. In modern times a teacher is considered as a friend ,philosopher, and guide.

6. Inclusive Education:

Inclusion means educating students with disabilities in regular classrooms; Although many parents of children with disabilities strongly support inclusion, not all children with disabilities attend regular classes, it is true that regular classroom teachers are expected to deal with a much wider range of learning, behavioural,sensory, and physical differences among their students .But some educators have expressed concern that presence of differently abled impairs the academic achievement of students without disabilities. It is important for special educators to teach appropriate social skills and behavior to the child with disabilities and to educate non disabled children about their classmates.

Cooperative learning activities provide a strategic approach for integrating students with disabilities into both the academic curriculam and social fabric of the classroom. Cooperative learning take many forms,but in most models all students in the class are assigned to small heterogeneous groups and help one another to learn to achieve shared academic goal. Students must be accountable for both the group's performance and their own achievement.

" Group goals (positive interdependence). All members of the group work together to earn grades, rewards, or other recognition of success for the group.

" Individual accountability. Each srudent within the group must demonstrate his or her learning and contribute in a specific way for the group to obtain success. However, the manner in which group members contribute may differ to meet individualized needs and learning objectives .

7.Factors influencing learning

The process of learning is not influenced or controlled by any one single factor. There are a number of factors which have effect upon it. Some of the factors are..

1. Suitable atmosphere- Atmosphere in which learning takes place is very important for

a learner. Elements such as lighting, ventilation, cleanliness etc. constitute the external environment. So the teacher must prepare a suitable mental atmosphere before trying to teach anything.

2. Physical and mental health- It is very important for teacher to take care of both the mind and body of the student, because it is involved in the process of learning.

3. Learning Method- It includes not only theoretical aspect of learning but also practical such as audio-visual aids, playing, activities, listening skills, verbal signs,images etc. This will make the learning effective

4. Motivation- A teacher must not be a task master. They must not only be demanding but also a good motivator. Motivation will help student to bring out their hidden potentials .

5. The Teacher's role- Learning usually does not take place in an effective and successful manner as long as teacher does not play his role with determination and dedication. It is important for the teacher to be in touch with the findings of the latest research and to employ the most modern method for teaching .

8. Solution of Education for Slow learners.

Most of the slow learning children can be improved. In the case of children with intelligence quotients below 70, no improvement is possible through education in the ordinary schools. In children with intelligence quotients between 70 and 85, considerable improvement is possible even in regular educational institutions. Many of these children can be raised through cures so that they can find success in school and later life. But this requires modification of curriculum, the teacher's method of teaching, special attention etc.

a. Curriculam: Often many children fail repeatedly in the same class for the simple reason that the curriculam doesnot suit them. Consequently, the teacher must modify his curriculam to meet the requirements of such children. The curriculum must be fashioned in such a framework whereby it will be fitted to adopt some particular profession. Children can also be trained for some specific professions and vocations.

b. Method of teaching: the sole quality of a teaching method is that student should grasp what it has to teach. Hence, there should be different methods of teaching for students on different levels. For such children, there should be a special method of teaching with follow-

ing characteristics:

1. Pace of teaching should be slow;
2. Lesson should be repeated more than once .
3. Special classes must be taken for these children.
4. Assignments given must be short and simple.
5. Close supervision must be given to them.
6. Such children must be praised for their small efforts also.
7. Remedial teachers must be appointed who meet such students twice a week .

Conclusion: This elementary study helped us to know what education is and also how education can help in the attitude of learning in individuals. It also reveals the method of education which must be given to the children who needs special care for their educational improvement. The education also helps people to come out of their stigma and discrimination which put the slow learners in periphery. But inclusive education will help the slow learners to cope up and learn more with the student of their own age.

Refrence :

A.B.bhatnagar and Anurag Bhatnagar. Philosophical and sociological foundation of education. Meerut :R.lall Book Depot,2014.

N.R.Swarup Saxena.Principles of Education .Meerut: International Publishing House,1987.

Ibid,22.

Ibid,16.

William Heward. Exceptional Children.Columbus:Pearson Merrill Prentice hall,1980.79

Suresh Bhatnagar and Anamika Saxena. Advanced Educational Psychology. Merut: R.Lall Book Depot,2000.133

ibid, 134.

K.P.Singh,Trilok Chandra and A.J.S.Parihar.Advanced Educational Psychology. Merut: R.Lall Book Depot,2011, 671.

Ibid,672.

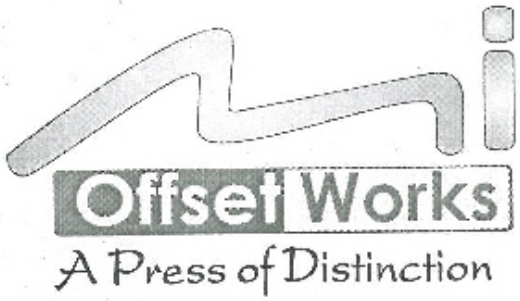

Offset Works

A Press of Distinction

9893086017
9993673675
8085556284

एम. आई. आफसेट वर्क्स

सभी प्रकार के मल्टीकलर पोस्टर, पम्पलेट,
ब्रोशर, बैनर, दैनिक/साप्ताहिक समाचार
पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं
की आफसेट मशीन द्वारा
छपाई उचित दामों पर की जाती है।

एक बार अवश्य पधारें

कार्यालय 105, बजाज काम्पलेक्स, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल
प्रधान कार्यालय : 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल
mioffset@yahoo.com, mioffset@gmail.com

TAKSHSHILA COLLEGE

SINCE 1996

Gram - Jhirniya, Post-Mugalia Hat, Parwaliya Sadak, NH-12, Bicara Road, Bhopal

Recognised by NCTE New Delhi, Govt. of Madhya Pradesh & Affiliated to Barkatullah University, Bhopal, M.P. Board of Sec. Education (M.P.)

Admission Through Online Counseling

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

Facility

- Govt. Scholarship facility available.
- Bilingual Teaching Faculty (Hindi, English).
- Well Experience & Qualified staff.
- College Bus facility.
- Well Equipped Laboratory of all practical subject.
- Internet & Wi-Fi Campus.
- Huge Digital Library.
- Training & Placement Cell.
- Canteen facility.
- Personality development classes.
- Indoor and Outdoor Games facility.

College level Scholarship for Deserving Students

M.P. Online Kiosk Facility Available

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449

तक्षशिला कॉलेज

SINCE 1996

ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त तथा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध)

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

1995 से लगातार

विगत 19 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अग्रणीसंस्थान

रचना नगर भोपाल से ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल नवीन एवं विशाल भवन में स्थानांतरित

प्रवेश Online Counseling

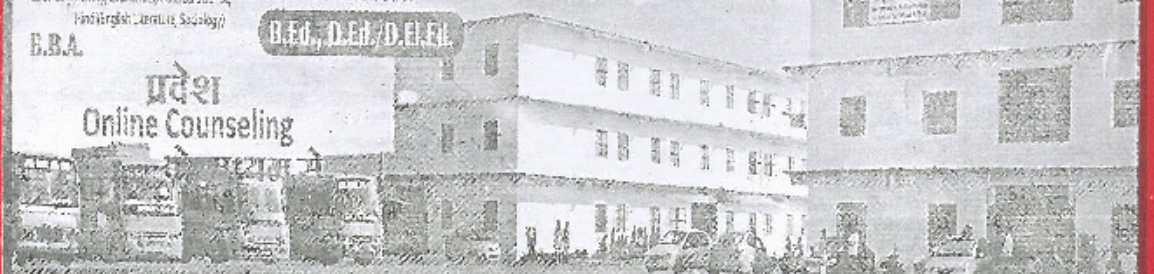

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449